वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

शिक्षा विभाग, हरियाणा

वर्ष 1976-77

प्रकाशक :-

निदेशक, शिक्षा विभाग, हरियाणा

शिक्षा विभाग हरियाणा की वर्ष 1976-77 की प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

हरियाणा शिक्षा विभाग राज्य के शिक्षा के विकास की देखभाल करता है। शिक्षा के विकास में राजकीय शिक्षा संस्थाओं के अतिरिक्त अराजकीय महाविद्यालयों/विद्यालयों ने भी विशेष योगदान दिया है। शिक्षा विभाग सामान्यत: शिक्षा के विभिन्न स्तरों से सम्बन्धित विकास योजनाएं बनाने, उनसे सम्बन्धित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने तथा उनके उचित समन्वय का काम भी करता है।

वर्ष 1976–77 में राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति की। रिपोर्टाधीन वर्ष में विभाग मुख्यत: निम्नलिखित कार्यक्रमों में व्यस्त रहा :——

(1) शिक्षा की विकास योजनाओं को बनाना तथा उनको क्रियान्वित करना।

(2) विश्वविद्यालयों तथा अराजकीय महाविद्यालयों/विद्यालयों की पात्रता परखने के बाद इन संस्थाओं को सुचारु रुप से चलाने हेतु अनुदान देना।

(3) सुपात्र एवं योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां/ऋण प्रदान करना।

(4) हरिजन जाति के छात्रो को वजीफे, छात्रवृत्तियां देना एवं फीसों की प्रतिपूर्ति करना।

(5) छात्रों को अभ्यास पुस्तकाएं एवं पाठ्य पुस्तकें उचित मूल्यों पर उपलब्ध करवाना।

वर्ष 1976–77 में शिक्षा विभाग का कुल बजट (संशोधित अनुमान) 3721.97 लाख रुपये था। इस राशि में से 451.41 लाख रुपये योजना स्कीमों पर तथा 3270.56 लाख रुपये योजनोत्तर स्कीमों पर व्यय हुए। इस कुल खर्चे में से केवल 116.89

लाख रूपये डायरैक्शन तथा इन्सपैक्शन पर खर्च किए गए ।

रिपोर्टाधीन वर्ष में हरियाणा में भिन्न भिन्न स्तरों पर शिक्षा पाने वाले कुल छात्रों की संख्या 17.46 लाख रही। यद्धपि प्राथमिक स्तर के छात्रों की संख्या में 63,000 की वृद्धि हुई तथापि समुचित रूप में कुल छात्र संख्या में 18000 की कमी हुई। छात्र संख्या के एकाएक कम होने का मुख्य कारण कम पास प्रतिशत था। हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा आठवीं का परीक्षा परिणाम लगभग 19.8 प्रतिशत घोषित किया गया जिसके कारण नौवी कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत कम हो गई ।

रिपोर्टाधीन अवधि में आयु वर्ग 6–11 (प्राथमिक स्तर) में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 11.68 लाख थी जबकि पिछले वर्ष 1975–76 में यह संख्या 11.04 लाख थी। इस वृद्धि के फलस्वरुप प्राईमरी स्तर पर 6–11 आयु वग में पढ़ने वाले बच्चों का अनुपात वर्ष 1976–77 में 70.05 प्रतिशत से बढ़कर रिपोर्टाधीन अवधि में 73.5 प्रतिशत हो गया ।

रिपोर्टाधीन अवधि में दो प्राईमरी स्कूलों के स्तर को बढ़ाकर मिडल तथा 6 मिडल स्कूलों के स्तर को बढ़ाकर उच्च किया गया। इसे अवधि में दो नये अराजकीय कला एवं विज्ञान डिग्री महविद्यालय, कवांली (महेन्द्रगढ़) तथा सफीदों (जींद) में और एक अराजकीय शिक्षा महाविद्य अम्बाला शहर में स्थापित हुए। राज्य सरकार ने बहादुरगढ़ (रोहतक) में स्थित सांय कालीन महाविद्यालय को कम छात्र संख्या के कारण बन्द कर दिया और उसके स्थान पर करनाल में केवल आर्टस विषयों के लिये एक महाविद्यालय स्थापित किया। इस प्रकार रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में कुल 98 कला एवं विज्ञान महाविद्यालय तथा 19 शिक्षण महाविद्यालय थे, जिनमें 14 सरकार द्वारा, 100 अराजकीय प्रबन्धक कमेटियों तथा 3 विश्वविद्यालयों द्वारा चलाये जा रहे थे ।

रिपोर्टाधीन वर्ष में निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों में नये विषय/कक्षाओ की सुविधाएं उपलब्ध की गई :—

1. कार्यालय प्रबन्ध एवं सचिवालय, कार्य का दो वर्ष का डिपलोमा कोर्स	राजकीय महाविद्यालय फरीदाबाद राजकीय महाविद्यालय, भिवानी राजकीय महाविद्यालय, रोहतक

2. भौमिकी (Geology) तथा भूगोल की उच्चतर स्नातक कक्षाएं (एम0ए0एम0एस0सी)	राजकीय महाविद्यालय, नारनौल
3 प्री-युनिवर्सिटी तथा टी डी सी 0(भाग-1) में समाज विज्ञान (सोशियालोजी)	राजकीय महाविद्यालय, नारनौल
4 वाणिज्य तथा इतिहास की स्नातकोतर कक्षाएं (एम0ए0)	राजकीय महाविद्यालय, फरीदाबाद।

राजकीय महाविद्यालय में इन विषयों को चालू करने के फलस्वरुप 49 प्राध्यापकों के नये पद स्वीकृत किये गये ।

शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु ग्रीष्म अवकाश की अवधि में 3000 प्राथमिक अध्यापक, 1300 विज्ञान अध्यापक, 500 गणित अध्यापक, और 2000 अंग्रेजी के अध्यापकों को भिन्न -2 केन्द्रों में सेवा कालीन प्रशिक्षण दिए गये ।

माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत के विषय की पढ़ाई को सुचारू रुप से चलाने के लिए 100 जे0बी0टी0 अध्यापकों को संस्कृत विषय का प्रशिक्षण दिया गया। स्कूलों में कार्य करने वाले 100 अध्यापको को जो कि स्कूलों में पुस्तकालयों के इन्चार्ज थे, को पुस्तकालय विज्ञान का प्रशिक्षण स्टेट सैन्ट्रल लाईब्रेरी, अम्बाला में दिलवाया गया ।

यूनिसिफ स्कीम के अन्तर्गत जे0बी0टी अध्यापकों, खण्ड शिक्षा अधिकारियों, उप मडल शिक्षा अधिकारियों/उप जिला शिक्षा अधिकारियों तथा विज्ञान विशेषज्ञों को राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान गुड़गांवा में सेवाकालीन विज्ञान प्रशिक्षण दिया गया।

स्कूलों की विज्ञान प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने हेतु मिडल कक्षाओं में विज्ञान फण्ड निधि 50 पैं0 प्रति मास प्रति छात्र तथा नौवी, दसवीं कक्षाओं में 1.50 रु0 प्रति मास प्रति छात्र दिनांक 1.4.76 से कर दी गई ।

रिपोर्टाधीन अवधि में अनौपचारिक शिक्षा प्रोग्राम 11–13 आयु वर्ग के बच्चों तथा 14–17 आयु वर्ग के बच्चो के लिए 8 उप मडलो में चालू था। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 11–13 आयु वर्ग के 714 बच्चों तथा वर्ष 14–17 आयु वर्ग के 340 बच्चों को क्रमश: प्राईमरी तथा मिडल स्तर के अनुसार शिक्षित किया गया।

वर्ष 1976–77 में नव साक्षरतों को साहित्य सामग्री उपलब्ध करने के लिये भारत सरकार ने राज्य सरकार के लिये 20 हज़ार रुपये स्वीकृत किये ।

ग्राम शिक्षा मोहिम की पद्धति के अनुसार किसान साक्षरता प्रोग्राम तथा प्रौढ़ कार्यक्रम रिपोर्टाधीन वर्ष में चलते रहे ।

दिसम्बर 1976 में वाराणसी में हुई अन्तर्राज्य प्रतियोगिताओं में राज्य के छात्रों ने पांच स्वर्ण पदक, 7 चांदी पदक और 2 कांस्य पदक प्राप्त किये । इस के अतिरिक्त लड़कियां जिमनास्टिक में भारत में तीसरे नम्बर पर और कुश्ती में दुसरे नम्बर पर रही। राज्य सरकार ने अन्तं जिला तथा अन्तं राज्य क्रीडा प्रतियोगिताओं के लिए 29000 रुपये की धन राशि भी स्वीकृत की ।

वर्ष 1976–77 में अध्यापक कल्याण कोष में 6.07 लाख रुपये की राशि एकत्रित की गई। इस में से 126 विपदाग्रस्त अध्यापकों को 1.30 लाख रुपये की राशि सहायता के रुप में दी गई ।

केयर सामग्री को सुरक्षित रखने और स्कूलों को खाद्य सामग्री की पूर्ति नियमित रुप से करने हेतु केयर योजना के अधीन 6 रिजनल गोदाम बनाए गए। इस कार्य के लिए सरकार ने 58000 रुपये की राशि स्वीकृत की। इन गोदामों की देखभाल केयर संगठन द्वारा की गई ।

एन0एस0एस0 स्कीम के अन्तर्गत रुरल रिकन्स्ट्रक्शन अभियान के अधीन राज्य में शिविर लगाये गये जिनमें छात्रों तथा अधिकारियों ने भाग लिया। इन शिविरों पर 1.75 लाख रुपये की राशि खर्च हुई। इन शिविरों में छात्रों ने कई प्रकार के प्रोजैक्टस उदाहरणार्थ पीने का पानी गांवों में उपलब्ध करने, गोबर गैस प्लांट लगवाने, सफाई अभियान चलाने, प्रौढ शिक्षा एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्य किया।

रिपोर्टाधीन अवधि में विश्वविद्यालयों, अराजकीय महाविद्यालयों/विद्यालों में शिक्षा को सुचारु रुप से चलाने तथा शिक्षा के विकास कार्यक्रमों के लिये राज्य सरकार द्वारा निम्न लिखित अनुदान (विकास एवं अन्य मेनटैनस) दिया गया :–

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	96.78 लाख रुपये
रोहतक विश्वविद्यालय	150.00 लाख रुपये

अराजकीय महाविद्यालय	29.27 लाख रुपये
अराजकीय विद्यालय	12.82 लाख रुपये

इसके अतिरिक्त 325 अराजकीय विद्यालयों को कोठारी आयोग के अन्तर्गत अध्यापको के वेतनमान सशोधन के कारण 44.33 लाख रुपये की राशि अनुदान में दी गई। अराजकीय महाविद्यालयों तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अध्यापको को संशोधित वेतन मान देने के लिये राज्य सरकार ने क्रमश: 160.00 लाख रुपये तथा 13.52 लाख रुपये स्वीकृत किये ।

भारत सरकार की राष्ट्रीय छात्रवृति योजना के अधीन महाविद्यालयों में पढ़ने वाले मैट्रिक उपरान्त छात्रों को 8.70 लाख रुपये की राशि छात्रवृति के रुप में वितरित की गई ।

636 हरियाणवी छात्रों को मैट्रिकुलेशन उपरान्त संस्थाओं में पढ़ने के लिए योग्यता के आधार पर वर्ष 1976–77 में राज्य सरकार ने 3.77 लाख रुपये की छात्रवृतियां प्रदान करने के लिये धन की व्यवस्था की । इसके अतिरिक्त सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले 600 हरियाणवी छात्रों को 21.60 लाख रुपये छात्रवृतियों के रुप में दिए गए। राज्य सरकार ने 1014 मिडल स्कूल छात्र वृतियां और 668 हाई स्कूल छात्रवृतियां क्रमश: 10/- रुपये और 15/- रुपये प्रति मास प्रति छात्र की दर से देने के लिये 5.21 लाख रुपये की व्यवस्था की थी ।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने प्रति विकास खण्ड में 2 ग्रामीण क्षेत्र छात्रवृतियां योग्य विद्यार्थियों को देने के लिए रूपये 2.73 लाख खर्च किए। प्रति जिला में नौवी दसवी तथा गयारहवी कक्षाओं में संस्कृत पढ़ने वाले योग्य विद्यार्थियों को दो छात्र-वृतियां 10 रुपये की दर से दी गई।

राज्य हरिजन कल्याण योजना के अधीन स्कूल तथा कालिज स्तर पर अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के बच्चों को छात्रवृतियों वजीफों तथा फीसों की प्रतिपूर्ति करने हेतु सरकार ने 3.90 लाख रुपये की व्यवस्था की। इसके अतिरिक्त विमुक्त जातियों के छात्रों को वजीफे इत्यादि देने के लिए अलग से 40300/-रुपये की व्यवस्था की गई ।

नौवीं, दसवीं तथा गयारहवीं कक्षाओं में पढ़ने वाली योग्य हरिजन कन्याओं को प्रति कक्षा 50 रुपये छात्रवृतियां देने के लिए 42330/-रुपये की व्यवस्था की गई।

भारत सरकार से नियन्त्रित दरों पर कागज मिलने के कारण वर्ष 1976–77 में विद्यार्थियों को समस्त वर्ष में उचित मूल्यों पर पाठ्य पुस्तकें तथा अभ्यास पुस्तिकायें उपलब्ध की गई ।

वर्ष 1976–77 के अन्त तक 7042 स्कूलों में पुस्तक बैंक स्थापित किये जाने से लगभग 2.43 लाख हरिजन तथा वंचित वर्ग के छात्रों को लाभ प्राप्त हुआ। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार ने 18.65 लाख रुपये रिपोर्टाधीन वर्ष में खर्च किए ।

आवश्यक उपभोगता वस्तुए नियन्त्रित मूल्यों पर छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को उपलब्ध करने के लिए प्रबन्ध किए गए इस उद्देश्य के लिए सभी छात्रावास निकट के सहकारी स्टोर से सम्बद्ध कर दिए गये ।

रिपोर्टाधीन अवधि में पहले श्री माडू सिंह मलिक, तथा बाद में श्री चिरंजी लाल शिक्षा मन्त्री के पद पर और श्री मती प्रसन्नी देवी राज्य शिक्षा मन्त्री के पद पर रही। शिक्षा आयुक्त एवं सचिव के पद का कार्यभार सर्वश्री बी0एस0 ओझा आई0ए0एस0 तथा उनके स्थानान्तरण के पश्चात श्री वी0 के0 सिब्बल आई ए0 एस0 के पास रहा। श्री एस0के0 जैन0, आई0ए0एस0 उप सचिव, शिक्षा तथा श्री राजशेखर अवर शिक्षा ने दिन प्रति दिन के कार्य में उनकी सहायता की।

श्री एल0एम0 गोयल आई0ए0एस0 ने 31.8.76 तक निदेशक शिक्षा विभाग के पद पर कार्य किया तथा 7.9.76 से श्री एल0एम0 जैन आई0ए0 एस0 ने निदेशक शिक्षा विभाग का कार्यभार सम्भाला ।

"अध्याय एक"

सामान्य सार

शिक्षा विभाग की प्रस्तुत प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 1976–77 की शिक्षा विषयक गतिविधियों से सम्बन्धित है ।

1.2 सितम्बर 1976 में हरियाणा में स्थित भिन्न भिन्न प्रकार की संस्थाओं की संख्या तथा उन संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्नलिखित रही है :—

संस्था का स्तर	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या (लाखों में)		
		लड़के	लड़कियां	कुल
1. प्राथमिक स्कूल	5145	4.67	2.22	6.89
2. माध्यमिक स्कूल	754	1.91	0.81	2.72
3. उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल	1143	5.12	1.96	7.08
4. जे·वी·टी· प्रशिक्षण संस्थाएं	10	0.56	0.22	0.78
5. महाविद्यालय	117			
6. विश्वविद्यालय	2			

शिक्षा के स्तर के अनुसार संख्या

1.3. राज्य में सितम्बर, 1976 में शिक्षा के स्तर के अनुसार विद्यार्थियों

की संख्या इस प्रकार थी :–

क्रम संख्या	शिक्षा स्तर	छात्र संख्या (लाखों में) लड़के	लड़कियां	कुल
1.	प्राथमिक स्तर (पहली से पांचवी कक्षाएं)	7.92	3.76	11.68
2.	माध्यमिक स्तर (छठी से आंठवीं कक्षाएं)	2.90	0.95	3.85
3.	उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर (नौवीं से ग्यारहवीं कक्षाएं)	0.88	0.28	1.16
	कुल संख्या :	11.70	4.98	16.68

उच्च स्तर	(कुल संख्या)			
1.	प्रैप	15766	4640	20406
2.	त्रि-वर्षीय डिग्री कोर्स	33696	12212	45908
3.	पी0एच0डी0 तथा एम0ए0 कक्षाएं	2410	1120	3530
4.	जे0बी0टी: कक्षाएं	374	441	815
5.	बी:एड:/एम:एड:	1348	2198	3546
6.	अन्य	2441	1452	3893
	कुल	56035	22063	78098

वर्ष 1976–77 में छात्र-संख्या अभियान के कारण 6 से 11 आयु वर्ग के प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में पिछले वर्ष की अपेक्षा 63000 की वृद्धि हुई है, जिससे 6-11 आयु वर्ग में पढ़ने वाले छात्रों का अनुपात पिछले वर्ष के औसत अनुपात, 70.5 प्रतिशत से बढ़ कर 73.5 प्रतिशत हो गया। इस औसत-अनुपात के बढ़ने पर भी अभी हरियाणा राज्य समस्त भारत के औसत अनुपात के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका। राज्य में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिये तथा अधिकाधिक संख्या में लड़कियों और हरिजन बच्चों को स्कूलों में प्रवेश कराने के लिये अनेक विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध की गई। इसके अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा उन गांवों में कुछ शाखा प्राथमिक स्कूल भी खोले गये जिनमें लगभग 25–30 बच्चे प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने के लिये उपलब्ध हो सकते थे।

शिक्षकों की संख्या

1.4. हरियाणा राज्य में कार्य करने वाले शिक्षकों की कुल संख्या प्रबन्ध अनुसार इस प्रकार रही :—

स्कूल स्तर	पुरुष	महिलाएं	कुल अध्यापक
(क) गैर-सरकारी विद्यालयों में	2332	1974	4306
(ख) राजकीय विद्यालयों में	32754	13230	45984
जोड़ :	35086	15204	50290

(ख) उच्च स्तर पर

	पुरुष	महिलाएं	कुल
गैर-सरकारी महाविद्यालयों में	1552	485	2037
राजकीय महाविद्यालयों में	573	180	753
विश्वविद्यालय तथा अन्य	231	35	286
जोड़ :	2356	700	3056

शिक्षा पर व्यय

1.5. शिक्षा विभाग का वर्ष 1976–77 का बजट (संशोधित अनुमान) इस प्रकार था :—

(क) प्रत्यक्ष व्यय :

	मद्द	योजनेतर	योजना	कुल
1.	उच्च शिक्षा (कालेज शिक्षा)	413.94	183.09	597.03
2.	माध्यमिक शिक्षा	1368.45	87.70	1456.15
3.	प्राथमिक शिक्षा	1299.99	155.68	1455.67
4.	विशेष शिक्षा (स्पैशल)	4.08	8.40	12.48
5.	एन.सी.सी.	56.52	0.50	57.02
6.	विविध	24.75	1.98	26.73
	जोड़	3167.73	437.35	3605.08
	(ख) परोक्ष व्यय :			
7.	निर्देशन	31.04	1.00	32.04
8.	निरीक्षण	71.79	13.06	84.85
	जोड़ परोक्ष व्यय	102.83	14.06	116.89
	कुल जोड़ :	3270.56	451.41	3721.97

महाविद्यालय शिक्षा :

1.6. रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में कोई नया राजकीय महाविद्यालय सरकार द्वारा नहीं खोला गया परन्तु सांध्य महाविद्यालय, बहादुरगढ़ को बन्द करके

उसके स्थान पर करनाल में आर्टस विषयों के लिये एक महाविद्यालय खोला गया । तीन नये गैर सरकारी महाविद्यालय खुले, जिनमें एक शिक्षा महाविद्यालय भी है । रिपोर्टाधीन अवधि में दो गैर-सरकारी महाविद्यालयों की मान्यता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा समाप्त कर दी गई ।

जिला स्तर पर प्रशिक्षण :

1.7. राज्य के सभी 11 जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्त हैं, जो अपने जिले में शिक्षा के विकास तथा राज्य की शिक्षा सम्बन्धी नीतियों को कार्यान्वित करते हैं ।

भाषाई अल्प संख्यकों को विशेष सुविधायें :

1.8. हरियाणा राज्य में भाषाई अल्प संख्यकों के लिये राज्य सरकार द्वारा अपनी भाषा को अतिरिक्त विषय के रुप में पढ़ने की भी सुविधा जारी रखी गई। यदि किसी कक्षा में कम से कम 10 बच्चे या स्कूल में 40 से अधिक विद्यार्थी वह भाषा पढ़ने के इच्छुक हों तो उनके लिये उस भाषा के पढ़ने का प्रबन्ध किया जाता है ।

स्कूलों का स्तर बढ़ाना :

1.9. वर्ष 1976–77 में सरकार ने 2 प्राथमिक स्कूलों का स्तर बढ़ा कर मिडल तथा 6 मिडल स्कूलों का स्तर बढ़ा कर उच्च स्कूल बना दिया ।

छात्र कल्याण कार्यक्रम :

1.10 छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को नियन्त्रित मूल्यों पर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध किया गया । विद्यार्थियों को नियन्त्रित मूल्यों पर उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध करने के लिये राज्य के विद्यालयों/महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के सभी छात्रावासों को निकटतम सहकारी उपभोक्ता स्टोर से सम्बदध किया गया, ताकि उनको बगैर किसी कठिनाई के आवश्यक वस्तुएं नियमित रुप से उपलब्ध होती रहे ।

स्कूलों में पुस्तक बैंक की स्थापना तथा वंचित वर्ग के छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना

1.11 राज्य के सभी हरिजन/अनुसूचित, जनजाति तथा वंचित वर्ग के छात्रों को (जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 1,500 रुपये से कम हो) पाठ्य पुस्तकें

उधार देने के लिये परियोजना शुरु की गई। इस योजना के अनुसार वर्ष 1976-77 में 18.65 लाख की धनराशि सरकार द्वारा स्वीकृत की गई । इस राशि से वर्ष 1976–77 के अन्त तक 7042 स्कूलों में पुस्तक बैंक स्थापित किये गए और इन बैंकों में 8.56 लाख पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध की गई जिनसे इन वर्गों के लगभग 2.43 लाख छात्रों को लाभ हुआ ।

सस्ते दामों पर पाठ्य पुस्तकों का उपलब्ध कराना :

1.12 रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य की संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों को कापियां नियन्त्रित तथा सस्ते दामों पर विद्यार्थी स्टोर के माध्यम से उपलब्ध होती रही। यह कापियां भारत सरकार द्वारा दिये गये निश्चित दरों के कागज से तैयार करवा कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गई ।

"अध्याय दो"

शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन

वर्ष 1976–77 में श्री माडू सिंह तथा श्री चिरंजी लाल थोड़े-थोड़े समय के लिये शिक्षा मन्त्री के पद पर और श्रीमती प्रसन्नी देवी, राज्य शिक्षा मन्त्री के पद पर रही ।

(क) सचिवालय :

रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षा आयुक्त एवं सचिव के पद का कार्य-भार पहले श्री बी0एस0 ओझा, आई0ए0 एस0 तथा उसके पश्चात् श्री वी0के0 सिब्बल, आई0 ए0 एस0 के पास रहा । इस कार्य में उनकी सहायता उप सचिव (शिक्षा) तथा अवर सचिव (शिक्षा) के पदों पर नियुक्त आई0ए0एस0 और एच0एस0एस0 अधिकारियों ने की ।

(ख) निदेशालय स्तर :

रिपोर्टाधीन वर्ष में श्री एल0एम0 गोयल, आई0ए0एस0, दिनांक 31-8-76 तक निदेशक शिक्षा के पद पर रहे और दिनांक 7-9-76 से श्री एल0एम0 जैन, आई0 ए0एस0 ने निदेशक, शिक्षा विभाग का कार्यभार सम्भाला । निदेशालय स्तर पर नियुक्त निम्नलिखित अन्य अधिकारियों ने कार्य को सुचारु रुप से चलाने के लिये सहयोग दिया :—

संयुक्त निदेशक (प्रशासन) आई0ए0एस0 (अंशकालिक)

संयुक्त निदेशक (शिक्षा) एच0ई0एस0

उप निदेशक (विद्यालय) एच0ई0एस0

उप निदेशक (योजना) एच0ई0एस0

उप निदेशक (महाविद्यालय) एच0ई0एस0

अध्यक्ष अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा

प्रशासन अधिकारी, एच0एस0एस0

सहायक निदेशक (परीक्षा) एच0ई0एस0

सहायक निदेशक (निर्माण) एच0ई0एस0

सहायक निदेशक (आंकड़ा) एच0ई0एस0

सहायक निदेशक (छात्रवृत्त) एच0ई0एस0

महायक निदेशक (पुस्तक) एच0ई0एस0

सहायक निदेशक (अध्यापक प्रशिक्षण) एच0ई0एस0

सहायक निदेशक (अध्यापक स्थापना) एच0ई0एस0

सहायक निदेशक (विद्यालय) एच0ई0एस0

लेखा अधिकारी–I

लेखा अधिकारी–II

बजट अधिकारी

रजिस्ट्रार शिक्षा

इसके अतिरिक्त कार्य महत्ता को ध्यान में रखते हुए राज्य शिक्षा संस्थान, गुड़गावां के उप निदेशक के पद का मुख्यालय बदल कर निदेशालय में किया गया है ।

जिला प्रशासन :

2.2. राज्य के प्रत्येक जिला के स्कूल शिक्षा के विकास, प्रशासन और नियन्त्रण का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारियों पर है । जिला शिक्षा अधिकारी अपने-अपने जिलों में शिक्षा के विकास तथा राज्य की शिक्षा सम्बन्धी नीतियों को कार्यान्वित करते हैं ।

ज़िला में शिक्षा के विकास के कार्य को सुचारु रुप से चलाने के लिये सभी उप मण्डलों के उप मण्डल शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारियों के मार्गदर्शन में अपने-अपने उप मडण्ल में शिक्षा नीतियों को कार्यान्वित करने के लिये जिजा शिक्षा अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी हैं। विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के विकास तथा निरीक्षण के लिए 7 पुराने जिलों में एक-एक सहायक जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक) नियुक्त है।

माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उनकी रुचियों के अनुसार भविष्य में व्यवसाय आदि के चुनाव में सहायता देने के लिए जिला स्तर पर एक-एक सहायक मार्गदर्शन परामर्शदाता की नियुक्ति की हुई है जो कि विद्यालयों में जा कर भिन्न भिन्न व्यवसायों के बारे में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं और बताते हैं कि स्कूल शिक्षा के पश्चात् विद्यार्थी कौन-कौन से व्यवसाय अपने जीवन में अपना सकते हैं तथा उनसे सम्बन्धित प्रशिक्षण की सुविधाएं कहां-कहां उपलब्ध हैं।

31-3-77 को स्थिति अनुसार निदेशालय तथा जिला स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों का ब्यौरा परिशिष्ट 'क' तथा 'ख' में दिया गया है। श्रेणी प्रथम तथा द्वितीय के कुल पदों की सूची परिशिष्ट 'ग' में दी गई है।

खण्ड स्तर :

2.3. राज्य में स्थित सभी 5145 प्राथमिक विद्यालयों को निरीक्षण तथा प्रशासन सुविधा के लिए 117 शिक्षा खण्डों में बांटा गया है। खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने अपने खण्ड में स्थित प्राथमिक शिक्षा के विकास तथा प्राथमिक विद्यालयों को सुचारु रुप से चलाने के लिए कार्यरत है।

राजकीय विद्यालय :

2.4 सभी राजकीय उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासनिक प्रबन्ध शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों के मुख्याध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों के माध्यम से चलाया जाता है। सभी मुख्याध्यापक तथा प्रधानाचार्य अपने-अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों को सुचारु रूप से शिक्षा देने तथा उनके शैक्षणिक, मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारी तथा विभाग के प्रति उत्तरदायी हैं।

गैर-सरकारी विद्यालय :

2.5. गैर-सरकारी विद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी स्थानीय प्रबन्ध समितियों द्वारा चलाया जाता है। इन सभी विद्यालयों में भी शिक्षा विभाग की नीति के अनुसार ही शिक्षा दी जाती है। ये विद्यालय शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करते हैं तथा शिक्षा विभाग इन विद्यालयों को चलाने के लिए हर वर्ष वित्तीय सहायता अनुदान के रुप में भी देता है। इन सभी विद्यालयों का निरीक्षण भी राजकीय विद्यालयों की भान्ति शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय :

2.5. राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य प्रत्यक्ष रूप में सुचारु प्रशासन तथा शैक्षणिक विकास के लिए निदेशक, शिक्षा के प्रति उत्तरदायी है परन्तु गैर-सरकारी महाविद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्धक समितियां ही चलाती हैं। राज्य में स्थित सभी महाविद्यालय सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की शिक्षा नीति को अपनाते हैं। विश्वविद्यालय योजना के अतिरिक्त राज्य सरकार भी इनको सहायता के रुप में साधारण तथा विकास अनुदान प्रायः प्रति वर्ष देती है।

"अध्याय तीन"

विद्यालय शिक्षा

3.1 राष्ट्र का विकास और इसकी समृद्धि शिक्षा के विकास पर ही निर्भर है। शिक्षित नर-नारी ही देश में सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्रान्ति ला सकते हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य में विद्यालय शिक्षा के विकास को प्राथमिकता दी गई।

शिक्षा-सुविधाओं का विकास :

3.2. पिछले वर्षों में शिक्षा-सुविधाओं में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। वर्ष 1976–77 में सरकार ने निम्नलिखित दो प्राथमिक स्कूलों के स्तर बढ़ा कर मिडल तथा छः मिडल स्कूलों के स्तर बढ़ा कर उच्च किया है।

प्राथमिक से मिडिल :

(1) जहाजगढ़ (कन्या) जिला रोहतक

(2) कनीना (जिला महेन्द्रगढ़)

मिडल से उच्च :

(1) पनहेड़ा खुर्द (जिला गुड़गावां)

(2) हुमायुपुर (जिला रोहतक)

(3) गुरावड़ा (जिला महेन्द्रगढ़)

(4) असदपुर नान्दनौर (जिला सोनीपत)

(5) सिवाना माल (जिला सोनीपत)

(6) जहाजगढ़ (कन्या) जिला रोहतक)

1-9-1976 को हरियाणा में गैर-सरकारी तथा राजकीय विद्यालयों की संख्या निम्नलिखित थी :—

क्रम संख्या स्तर	राजकीय	गैर-सरकारी	कुल
1. पूर्व प्राथमिक विद्यालय	6	1	7
2. प्राथमिक विद्यालय	5074	71	5145
3. माध्यमिक विद्यालय	737	17	754
4. उच्च/उच्चतर माध्यमिक	915	228	1143

बालवाड़ियों की स्थापना :

3.3. समाज की पिछड़ी तथा अनुसूचित जातियों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिकों के 3—6 वर्ष के बच्चों की देख-रेख एवं उन्हे शिक्षा-सुविधाए उपलब्ध कराने के लिए राज्य में 10 बालवाड़ियां सोनीपत तथा भिवानी में स्थापित की हुई हैं। प्रत्येक बालवाड़ी में एक-एक बाल सेविका तथा एक-एक महिला हैल्पर के तौर पर नियुक्त है। इन बालवाड़ियों में 3—6 आयु वर्ग के बच्चों के मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिए खेल कूद का सामान, चार्ट मानचित्र इत्यादि भी उपलब्ध किए गए हैं।

छात्र संख्या :

3.4. गत वर्षों की भान्ति वर्ष 1976—77 में भी प्राथमिक तथा मिडल स्तर पर छात्र-संख्या में वृद्धि हुई। प्राथमिक शिक्षा के शत-प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 6—11 आयु वर्ग के बच्चों को अधिकाधिक संख्या में स्कूलों में प्रवेश दिलाने हेतु छात्रवृद्धि अभियान चलाया गया जिससे इस वर्ष प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में 0.63 लाख की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के फलस्वरूप इस स्तर पर पढ़ने वाले 6—11 आयु वर्ग के बच्चों का प्रतिशत अनुपात पिछले वर्ष 70.5 प्रतिशत अनुपात से बढ़कर 73.5 प्रतिशत हो गया है परन्तु अभी भी हरियाणा राज्य समस्त भारत के औसत प्रतिशत अनुपात से पीछे है।

इस वर्ष में माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में केवल तीन हजार की वृद्धि हुई है। वर्ष 1975-76 के शैक्षणिक वर्ष में आठवीं श्रेणी की परीक्षा का कार्य हरियाणा शिक्षा बोर्ड को दिया गया। इस प्रकार शिक्षा बोर्ड द्वारा आठवीं कक्षा की प्रथम परीक्षा वर्ष 1976 में ली गई और इस परीक्षा का परिणाम केवल 19.8 प्रतिशत रहा। पर्याप्त संख्या में विद्यार्थियों के आठवी कक्षा में अनुतीर्ण होने के कारण नोंवी कक्षा में छात्रों की संख्या वर्ष 1975-76 में 91923 से घट कर वर्ष 1976-77 में 39477 रह गई जिसके फलस्वरुप 14–17 आयु-वर्ग में पढ़ने वाले बच्चों का अनुपात पिछले वर्ष के अनुपात 26.0 से घटकर रिर्पोटाधीन अवधि में 14.9 प्रतिशत रह गया था।

रिर्पोटाधीन वर्ष 1976–77 में स्कूलों में भिन्न भिन्न स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार रही :—

शिक्षा का स्तर :

	संख्या लाखों में		
	लड़के	लड़कियां	कुल
प्राथमिक स्तर	7.92	3.76	11.68
माध्यमिक स्तर	2.90	0.95	3.85
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	0.88	0.28	1.16

अध्यापक :

3.5 सितम्बर, 1976 में हरियाणा में शिक्षा के भिन्न-भिन्न स्तरों पर शिक्षकों की संख्या निम्नलिखित थी :—

	अध्यापकों की संख्या 1976–77		
	पुरुष	महिलाएं	कुल
प्राथमिकस्तर	18569	9655	28224
माध्यमिक स्तर	9024	3437	12461
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	7492	2087	9579
	35085	15179	50264

हरियाणा में अध्यापक प्रायः प्रशिक्षित हैं । 50264 में से केवल 357 ऐसे अध्यापक है जो कि प्रशिक्षित नही है। उक्त 50264 अध्यापकों में से 45982 अध्यापक राजकीय विद्यालयों में और केवल 4282 अध्यापक गैर-सरकारी विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं ।

अध्यापक छात्र अनुपात :

3. 6. प्राथमिक कक्षाओं में नए पदों के सृजन के लिए अध्यापक -छात्र अनुपात 1:45 ही रहा ।

रिपोर्टाधीन वर्ष में शिक्षा के भिन्न भिन्न स्तरों तथा भिन्न भिन्न वर्गों के स्कूलों में अध्यापक-छात्रों का अनुपात इस प्रकार रहा :—

प्राथमिक स्कूल :	1:40
मिडल स्कूल :	1.33
उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय :	1.28
प्राथमिक स्तर :	1:41
माध्यमिक स्तर :	1:39
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर :	1:12

आदर्श स्कूल :

3. 7. राज्य में केवल 3 आदर्श स्कूल हैं । इन विद्यालयों में अन्य विद्यालयों की अपेक्षा फीसों की दर अधिक है। ऐसी संस्थाएं फीसों आदि की आय से सुगमता से चल सकती है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा इनको प्रायः कोई अनुदान नहीं दिया जाता है ।

दोहरी-पारी प्रणाली :

3. 8. जिन विद्यालय-भवनों में छात्र-संख्या की वृद्धि के कारण बच्चों के लिए

स्थान/कमरों की कमी हो जाती है, उन स्कूलों में दोहरी-पारी अपनाने की अनुमति देने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी सक्षम अधिकारी हैं।

सह-शिक्षा की नीति :

3.9. ऐसे स्थानों पर, जहां लड़कियों के लिए अलग माध्यमिक तथा उच्च विद्यालय नही है, वहां लड़कों के विद्यालय में ही लड़कियों की प्रवेश करने की सुविधा उपलब्ध की हुई है। कुल 5145 प्राथमिक विद्यालयों में केवल 248 राजकीय और 16 गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालय केवल कन्याओं के लिए है। शेष सभी प्राथमिक विद्यालयों में सह-शिक्षा है या केवल लड़कों के लिये है।

पाठ्य-पुस्तक कक्ष की स्थापना :

3.10. राज्य में I से VIII कक्षाओं को पाठ्य-पुस्तकों के स्तर को ऊंचा उठाने तथा इनको अद्यतन रखने के लिये विभाग द्वारा एक पाठ्य-पुस्तक कक्ष की स्थापना की हुई है। कक्ष में निम्न लिखत अमला नियुक्त है :—

(1)	विषय विशेषज्ञ :	3
(2)	अनुसंधान अधिकारी :	2
(3)	सम्पादक :	1
(4)	प्रुफ वाचक :	2
(5)	आर्टिस्ट:	1
(6)	स्टैनो-टाईस्पिस्ट :	1
(7)	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी .	2

इस परियोजना के लिये वर्ष 1976—77 में 96210/— रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

कक्ष द्वारा वर्ष 1976-77 में निम्नलिखित पुस्तकों की पाण्डुलिपियां लिखी गई :—

(1) मध्य-कालीन भारत : 7

(2) स्वः स्थानीय स्वशासन : 7

(3) भूगोलः 7

(4) विज्ञान पूरक : 7

(5) विज्ञान पूरक 8

(6) सामाजिक शिक्षा पूरक : 8

भाषा-नीति और भाषाई अल्प संख्यकों को संरक्षण प्रदान करना :

3.11. हरियाणा एक भाषी राज्य है और इसकी भाषा हिन्दी है। यह भाषा ही सभी विद्यार्थियों को पहली श्रेणी से अनिवार्य रुप में प्रथम भाषा के रुप में पढ़ाई जाती है। उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भी शिक्षा का माध्यम हिन्दी ही है।

विद्यालयों में छटी कक्षा में अंग्रेजी दूसरी भाषा के रुप में पढ़ाई जाती है। तीसरी भाषा के रुप में पंजाबी, संस्कृत, उर्दू के अतिरिक्त राष्ट्रीय भावात्मक एकता लाने के लिये दक्षिण भारत की भाषा तेलगू की शिक्षा की सुविधा भी 52 विद्यालयों की सातवीं और आठवी कक्षाओं में उपलब्ध की गई है। सातवीं और आंठवी श्रेणियों में पंजाबी, उर्दू और संस्कृत तथा तेलगू भाषाओं में से विद्यार्थी किसी एक भाषा का अध्ययन तीसरी भाषा के रुप में कर सकता है।

हरियाणा में भाषाई अल्प-संख्यकों के हितों के सरंक्षकार्थ उन्हें अपनी भाषा के अध्ययन करने का भी हरियाणा सरकार ने विशेष अधिकार दे रखा है। यदि किसी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय की किसी कक्षा में 10 बच्चे या स्कूल में 40 से अधिक विद्यार्थी हो तो वह अपनी भाषा को राज्य-भाषा के अतिरिक्त एक विशेष भाषा के रुप में पढ़ सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को सरकार उस विषय में शिक्षा देने के लिए

सुविधा प्रदान करती है। 19 गैर-सरकारी विद्यालयों को, जिनमें हरियाणा बनने के समय शिक्षा का माध्यम पंजाबी था, पंजाबी माध्यम को आगे भी जारी रखने के लिए सरकार ने विशेष अनुमति दे रखी है।

भाषाई अल्प संख्यकों को विशेष सुविधा प्रदान करने तथा सरकार को इस सम्बन्ध में परामर्श देने हेतु एक उच्च स्तरीय अल्प भाषाई समिति का गठन किया हुआ है ।

तेलगू भाषा की शिक्षा :

3.12. हरियाणा राज्य की ओर से वर्ष 1976–77 मे 20 अध्यापकों को भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर में तेलगू भाषा की पढ़ाई का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा गया।

संस्कृत भाषा का विकास :

3.13. संस्कृत भाषा का स्थान हरियाणा में तीसरी भाषा के रूप मे है। स्कूलों में संस्कृत भाषा की शिक्षा सातवी कक्षा से दी जाती है ।

इस वर्ष सरकार ने शेखावाही ब्रह्मचार्य आश्रम, भिवानी को सरकारी नियन्त्रण में लेकर इसका नाम पण्डित सीताराम शास्त्री कालिज कर दिया है । इस कालिज में संस्कृत की शास्त्री आदि की कक्षाएं चलाई गई है। इस संस्कृत महाविद्यालय के लिए निम्नलिखित अमला भी स्वीकृत किया गया :–

प्राचार्य :	1
प्राध्यापक :	1
शास्त्री :	1
लिपिक :	1
चतुर्थश्रेणीकर्मचारी	1

नई शिक्षा पद्धति 10+2+3 को लागू करना :

3.14. राज्य के स्कूलों में नई शैक्षणिक पद्धति लागू करने के मामले पर

विचार करने तथा इस सिलसिले में सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति बनाई गई थी। इस समिति की कई बैठकें हो चुकी हैं। परन्तु अभी तक अन्तिम रिपोर्ट/सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई। यह समिति समय-समय पर सरकार को अन्तरिम सिफारिशें भेजती रही है, इसके अनुसार राज्य में नई शैक्षणिक पद्धति अन्तिम रूप से ही लागू की जा सकेगी।

पाठयक्रम में संशोधन :

3.15. अप्रैल, 1976 से सभी उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो की नौवी कक्षा मे विज्ञान (भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान) तथा गणित का विषय अनिवार्य तौर पर पढ़ाया जाना शुरु किया गया था। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने केवल छात्राओं के लिए इसमें 2 वर्ष के लिए छूट दे दी है।

नौवी कक्षा मे शारीरिक तथा स्वास्थ्य शिक्षा तथा खेल-कूद और कार्य अनुभव के विषय 1-5-1976 से अनिवार्य तौर पर लागू कर दिए है।

हरियाणा शिक्षा बोर्ड

3.16. हरियाणा शिक्षा बोर्ड शिक्षा विभाग की नीति के अनुसार उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक श्रेणियों के लिये पाठ्यक्रम निश्चित करता है और पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकों का अनुमोदन किया जाता है ताकि विद्यार्थियो को निश्चित/सस्ती कीमत पर पुस्तकें प्राप्त हों सके। विद्यार्थियों की उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षा शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाती है। सरकार के निर्णय अनुसार आठवी कक्षा की परीक्षा भी वर्ष 1975–76 में हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने लगी है। इससे पहले केवल मिडिल स्कूलों की आठवी कक्षा की परीक्षा शिक्षा विभाग द्वारा ली जाती थी सरकार के निर्णय अनुसार वर्ष 1975–76 के शैक्षणिक वर्ष की आठवी कक्षा की परीक्षा हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई जिसका परिणाम जून/जुलाई 1976 में घोषित हुआ जिसमें केवल 19.8 प्रतिशत विद्यार्थी वास्तव में पास हुए। इस स्थिति में सुधार लाने के लिये शिक्षा विभाग ने कई तरह के पग उठाए ताकि भविष्य में परीक्षा के परिणामों में सुधार हो सके।

गैर सरकारी विद्यालयों को स्थाई मान्यता :

3.17. वर्ष 1976–77 में निम्नलिखित 11 उच्च विद्यालयों को स्थाई मान्यता प्रदान की गई हैं :—

1. शम्भु दयाल माडॅन स्कूल सोनीपत ।
2. जैन कन्या उच्च विद्यालय, करनाल
3. जनता हाई स्कूल, मुस्तफाबाद ।
4. बाबा मवाडा नाथ हाई स्कूल, पेहोवा ।
5. दयानन्द गर्ल्ज हाई स्कूल, यमुना नगर ।
6. जैन हाई स्कूल, गोहाना ।
7. सैनी कन्या उच्च विद्यालय, रोहतक ।
8. सतीश पब्लिक हाई स्कूल, रिवाड़ी ।
9. जयप्रकाश गर्ग हाई स्कूल, रिवाडी ।
10. विद्या निकेतन हाई स्कूल, फरीदाबाद ।
11. वैश्य हाई स्कूल, मण्डी बहादुरगढ़ ।

गैर सरकारी स्कूलों की प्रबन्धक समितियों का अनुमोदन :

3.18. वर्ष 1976-77 में 17 स्कूलों की प्रबन्धक समितियों को विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है।

गैर सरकारी विद्यालयों को अनुदान :

3.19. गैर-सरकारी विद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वर्ष 1976-77 में निम्न प्रकार का अनुदान योजना तथा योजनेतर

पर दिया गया, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्रमांक	गैर-सरकारी विद्यालयों को अनुदान	अनुदान की राशि	
		योजनेतर रुपये	योजना रुपये
	अनुरक्षण-अनुदान :		
1.	गैर सरकारी प्राथमिक स्कूल	4,66,095	51,833
2.	गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूल	6,05,459	25,728
3.	संस्कृत पाठशालाएं/गुरुकुल	—	71,146
	उपकरण अनुदान :		
4.	गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूल	5,000	—
5.	अन्य संस्थाओं को सहायता अनुदान	56,500	1,00,000
	कुल जोड़	10,33,054	2,48,707

गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों को अनुरक्षण अनुदान की पद्धति को सुगम बनाया गया और नई पद्धति-अनुसार सभी स्थाई मान्यता-प्राप्त स्कूलों को वर्ष 1976-77 में उनके घाटे का 25 प्रतिशत अनुरक्षण-अनुदान दिया गया।

वर्ष 1976-77 में लगभग 325 गैर-सरकारी स्कूलों को 44,37,845 रुपये का कोठारी अनुदान भी दिया गया।

"अध्याय चार"

महाविद्यालय शिक्षा

महाविद्यालयों की संख्या :

4.1. वर्ष 1976-77 में व्यक्तिक क्षेत्र में निम्नलिखित महाविद्यालय स्थापित हुए :

1. देवसमाज शिक्षा महाविद्यालय, अम्बाला शहर।
2. श्री कृष्ण महाविद्यालय, कनवाली (महेन्द्रगढ़)
3. आदर्श महाविद्यालय सफीदों (जीन्द)

वर्ष 1976-77 में सरकार ने सांध्य महाविद्यालय, बहादुरगढ़ को बन्द करके करनाल में एक महाविद्यालय केवल आर्टस विषय के लिए खोल दिया।

वर्ष 1976-77 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित महाविद्यालयों को प्रदान की गई मान्यता (affiliation) समाप्त कर दी :

(1) ग्राम्य शिक्षा महाविद्यालय, कैथल

(2) आर0 एल0 एस0 डी0 महाविद्यालय, शहजादपुर (अम्बाला)

इस प्रकार इस वर्ष राज्य में महाविद्यालयों की संख्या 117 हो गई है जिस मे से 19 शिक्षा महाविद्यालय और 98 सामान्य शिक्षा के महाविद्यालय है।

राज्य में प्रबन्ध अनुसार महाविद्यालयों की संख्या इस प्रकार है :—

राज्य सरकार द्वारा	गैर सरकारी निकायों द्वारा	विश्वविद्यालयो द्वारा	कुल
14	100	3	117

राजकीय महाविद्यालयों में नये विषय/कक्षाएं चालू करना :

4.2. वर्ष 1976-77 में निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों में कुछ नए विषय/कक्षाओं की सुविधाएं उपलब्ध की गई :—

विषय/कक्षाएं	महाविद्यालय (राजकीय)
1. कार्यालय-प्रबन्ध एवं सचिवालय कार्य का दो वर्ष का डिपलोमा कोर्स	राजकीय महाविद्यालय, फरीदाबाद राजकीय महाविद्यालय, भिवानी राजकीय महाविद्यालय, रोहतक
2. भौमिकी (Geology) तथा भूगोल की उत्तरस्नातक कक्षाएं (एम0 ए0)/ (एम0 एस0 सी0)	राजकीय महाविद्यालय, नारनौल
3. प्री-यूनिवर्सिटी तथा टी0 डी0 सी0 भाग–I में समाज विज्ञान (सोशियोलोजी)	राजकीय महाविद्यालय, नारनौल
4 वाणिज्य तथा इतिहास की उच्चतर स्नातकोत्तर कक्षाएं (एम0 ए0)	राजकीय महाविद्यालय, फरीदाबाद

राजकीय महाविद्यालयों में पद-सृजन :

4.3. रिपोर्टाधीन वर्ष में नए विषय तथा कक्षाएं चालू करने के कारण राजकीय महाविद्यालयों मे प्राध्यापकों के 49 पदों का सृजन किया गया।

अध्यापकों के वेतनमान संशोधित होने के कारण अतिरिक्त राशि का अनुदान

4.4. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के वेतनमान 1-1-73 से संशोधित होने के कारण गैर-सरकारी महाविद्यालयों तथा कुरुक्षेत्र विश्व-

विद्यालय को निम्नलिखित राशि अनुदान में दी गई :

(1)	गैर-सरकारी महाविद्यालय	1,10,40,746 रुपये
(2)	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	13,52,000 रुपये
	जोड़	1,23,92,746 रुपये

4.5. वर्ष 1976-77 में सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को निम्नलिखित राशि संरक्षण/विकास अनुदान के रुप में दी गई :

1.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	96,78,300 रुपये
2.	रोहतक विश्वविद्यालय	1,50,00,000 रुपये
3.	गैर-सरकारी महाविद्यालय	29,26,771 रुपये

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुदान निम्नलिखत महाविद्यालयो को भी दिया गया ।

1.	राजकीय महाविद्यालय, नारनौल को भौमिकी (ज्योलोजी) (विभाग के लिए उपकरण आदि खरीदने के लिए)	90,000 रुपये
2.	राजकीय महाविद्यालय, हिसार (साज सज्जा के सामान की खरीद के लिए)	2,00,000 रुपये

रिर्पोटाधीन वर्ष में गैर-सरकारी महाविद्यालयों को दिनाक 1-11-1966 से वेतनमान संशोधित होने के कारण अतिरिक्त खर्च के लिए, 15,17,037 रुपये की राशि प्रदान की गई है।

रोहतक विश्वविद्यालय :

4.6. रोहतक विश्वविद्यालय, जो कि वर्ष 1975-76 मे स्थापित किया गया था, ने कार्य आरम्भ कर दिया और सभी 12 महाविद्यालय, जो कि रोहतक नगर के

10 मील के घेरे में पड़ते थे, इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिये गये हैं। विश्व-विद्यालय का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान एवं मानविकी विज्ञान का शिक्षण है।

4.7. वर्ष 1976-77 में राजकीय महाविद्यालयों में फीसों की दर में कोई परिवर्तन नही हुआ।

रिर्पोटाधीन वर्ष में राज्य में 78367 छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। संस्था अनुसार छात्रों की संख्या इस प्रकार थी :—

संस्था का स्तर	छात्रों की संख्या		
	लड़के	लड़कियां	कुल
1. राजकीय महाविद्यालय	12089	3664	15753
2. गैर-सरकारी महाविद्यालय	39079	167738	55817
3. विश्वविद्यालय तथा उससे सम्बन्धित महाविद्यालय	4493	1489	5982
4. जे0 बी0 टी0 संस्थाएं	374	441	815
कुल	56035	22332	78367

"अध्याय पांचवां"

शिक्षक प्रशिक्षण

अध्यापक के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ही "शिक्षा का स्तर" निर्भर है। अध्यापक तभी अपने कार्य में निपुण हो सकता है यदि वह स्वयं शिक्षा क्षेत्र में हो रहे अनुसंधानों और प्रयोगों से परिचित रहे। व्यावसायिक दक्षता के लिए शिक्षकों के लिए दो प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

1. सेवा-काल से पूर्व
2. सेवा-कालीन (सेवा अवधि के दौरान)

सेवा-काल से पूर्व का प्रशिक्षण व्यक्ति को व्यावसायिक जीवन के लिए तैयार करता है। सेवा-कालीन प्रशिक्षण से अध्यापक को नवीनतम शैक्षणिक विधि, सिद्धांत और प्रवृतियों का ज्ञान प्राप्त होता है।

सेवाकाल से पूर्व का प्रशिक्षण :

5.2. शैक्षणिक वर्ष 1976-77 में भिन्न-भिन्न वर्गों के अध्यापकों के लिए राज्य में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों की सुविधाएं उपलब्ध रहीं :

(1) एम0 एड0
(2) बी0 एड0 प्रशिक्षण
(3) जे0 बी0 टी0 प्रशिक्षण
(4) नर्सरी प्रशिक्षण

एम0 एड0 कक्षाएं :

5.3. राज्य में एम0 एड0 शिक्षा की कक्षाएं केवल राव वीरेन्द्र सिंह शिक्षण महाविद्यालय, रिवाड़ी और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध रहीं। दोनों संस्थाओं

में वर्ष 1976-77 में 21 लड़कों तथा 25 लड़कियों ने एम0 एड0 में प्रवेश प्राप्त किया।

बी0 एड0 कक्षाएं :

5.4. वर्ष 1976-77 में माध्यमिक तथा उच्च-उच्चतर कक्षाओं के बी0 एड0 प्रशिक्षण अध्यापकों की कक्षाएं राज्य के 19 शिक्षा महाविद्यालयों मे चालू रही। रिपोर्टाधीन वर्ष में इन महाविद्यालयो में 1327 लड़कों तथा 2173 लड़कियों ने बी0 एड0 में प्रवेश प्राप्त किया था। विज्ञान के अध्यापको की कमी के दृष्टिगत कुरुक्षेत्र तथा रोहतक विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध बी0 एड0 महाविद्यालयों में 50 प्रतिशत सीटें विज्ञान, गणित स्नातकों के लिए आरक्षित कर दी गई।

जे0 बी0 टी0 कक्षाएं:

5.5. वर्ष 1976-77 में डिपलोमा-इन-एजुकेशन (जे0 बी0 टी0 कोर्स) बन्द कर दिया गया परन्तु निम्नलिखित 10 संस्थाओं में जे0 बी0 टी0 भाग-II की कक्षाएं चालू रही :—

1. राजकीय जे0 बी0 टी0 स्कूल, नारायणगढ़ (अम्बाला)
2. राजकीय जे0 बी0 टी0 स्कूल, छछरौली (अम्बाला)
3. राजकीय जे0 बी0 टी0 स्कूल, कुरुक्षेत्र
4. राजकीय जे0 बी0 टी0 स्कूल, खुगा कोठी (जीन्द)
5. राजकीय जे0 बी0 टी0 स्कूल, नाहरा (सोनीपत)
6. राजकीय जे0 बी0 टी0 स्कूल, दुजाना (रोहतक)
7. राजकीय जे0 बी0 टी0 स्कूल, पावड़ा (हिसार)
8. राजकीय जे0 बी0 टी0 स्कूल, फरीदाबाद (गुड़गांव)
9. राजकीय जे0 बी0 टी0 स्कूल, कंवाली (महेन्द्रगढ़)
10. राजकीय जे0 बी0 टी0 स्कूल, जुई खुर्द (भिवानी)

ओ0 टी0 (संस्कृत) प्रशिक्षण कक्षाएं :

5.6. वर्ष 1976-77 में राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, भिवानी मे ओ0 टी0 संस्कृत के दो यूनिट (40 प्रति यूनिट) के अनुसार प्रशिक्षण कक्षा को चलाने की अनुमति दी गई।

नर्सरी प्रशिक्षण कक्षाएं :

5.7. रिपोर्टाधीन वर्ष में नर्सरी प्रशिक्षण निम्नलिखित गैर-सरकारी संस्थाओ में ही चालू रहा।

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	यूनिटों की संख्या	सीटें प्रति यूनिट
1.	सी0 आर0 शिक्षण महाविद्यालय, हिसार	1	40
2.	टिक्का राम शिक्षण महाविद्यालय, सोनीपत	1	40
3.	सतीश पब्लिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रिवाड़ी	1	40
4.	राव वीरेन्द्र सिंह शिक्षण महाविद्यालय, रिवाड़ी	1	40
5.	गौड़ ब्राह्मण शिक्षण महाविद्यालय, रोहतक	1	40
6.	वी0 पी0 एस0 शिक्षण महाविद्यालय, खानपुरकलां	$1\frac{1}{3}$	40
7.	सी0 आर0 शिक्षण महाविद्यालय, रोहतक	1	40
8.	सोहन लाल शिक्षण महाविद्यालय, अम्बाला	1	40
9.	डी0 ए0 वी0 महिला शिक्षण महाविद्यालय, करनाल	1	40
10.	भारतीय पब्लिक स्कूल, अम्बाला छावनी	$1\frac{1}{2}$	40

सेवा कालीन प्रशिक्षण :

5.8. गत वर्ष की भांति वर्ष 1976-77 में भी अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू रखा गया। इस वर्ष में 3000 प्राथमिक अध्यापकों को, 60 राजकीय उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को प्रशिक्षण केन्द्र बनाकर 21 दिन की अवधि का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का संचालन सम्बन्धित स्कूलों के अध्यक्ष द्वारा किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 6 रिसोर्सि परसनज भी नियुक्त किये गये जिन्हे इस कार्य के लिए राज्य शिक्षा संस्थान/राज्य विज्ञान संस्थान, गुड़गांवा/राजकीय शिक्षण महाविद्यालय, भिवानी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। गत वर्षो की भांति प्रतिभागियों को अनिवार्य रुप से केन्द्र में ठहराया गया तथा उनके भोजन तथा आवास की व्यवस्था प्रशिक्षण केन्द्र में की गई।

इसी प्रकार माध्यमिक अध्यापकों के लिए 18 ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित की गई जिनमें लगभग 1300 विज्ञान के अध्यापकों को तथा 500 गणित के अध्यापकों को 20 दिन की अवधि का प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 द्वारा तैयार किये गये पाठ्यक्रम (नई शिक्षा पद्धति के आधार पर) के अनुसार दिया गया। प्रशिक्षण का संचालन राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा उनके वरिष्ठ सहयोगियों द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त लगभग 2000 अंग्रेजी अध्यापकों को भी चार दिन की अवधि का सेवा कालीन प्रशिक्षण जिला स्तर/उप मण्डल स्तर पर दिया गया।

पुस्तकालय विज्ञान-प्रशिक्षण :

5.9. 100 अध्यापकों को, जो स्कूलों में पुस्तकालयों के कार्यभारी थे, प्रशिक्षण स्टेट सैन्ट्रल लाईब्रेरी, अम्बाला द्वारा दिया गया। उक्त कोर्सिज के अतिरिक्त राज्य शिक्षा संस्थान/राज्य विज्ञान संस्थान, गुड़गावां में भी विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण/कोर्सिज का आयोजन किया गया।

संस्कृत प्रशिक्षण :

5.10. राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत विषय के अध्यापकों के पद अलग रुप से स्वीकृत नहीं होते। इस विषय के शिक्षण को समुन्नत करने के लिए

माध्यमिक स्कूलों में कार्य कर रहे उन 100 जे0 बी0 टी0 अध्यापकों को, जिन्होंने मैट्रिक संस्कृत विषय के साथ पास की हुई थी, राज्य शिक्षा संस्थान, गुड़गाव में एक मास की अवधि का प्रशिक्षण दिया गया।

रिर्सोसि परसनज को प्रशिक्षण :

• 5.11. सेवाकालीन प्रशिक्षण के कार्य को सुचारू रुप से चलाने के लिए राजकीय शिक्षा संस्थान गुड़गावां तथा प्रशिक्षण महाविद्यालय, भिवानी द्वारा विस्तार सेवा विभाग, कुरूक्षेत्र तथा रोहतक द्वारा 580 रिर्सोसि परसनज को नव निदशन दिया गया।

प्रशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण :

5.12. हरियाणा राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, उप मण्डल शिक्षा अधिकारी तथा प्राचार्यों को भी नैशनल स्टाफ कालेज, नई दिल्ली मे 10 दिन का प्रशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया गया।

इन सभी सेवा कालीन प्रशिक्षण परियोजनाओं पर वर्ष 1976-77 मे 9.78 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

"अध्याय छठा"

समाज शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा

6.1. पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के विकास के कारण हरियाणा राज्य में साक्षरता भी बढ़ी है। राज्य में निरक्षर प्रौढ़ों की तथा उन बच्चों को, जो प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले ही स्कूल छोड़ जाते हैं, शिक्षा अनौपचारिक रुप से देने के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं चलाई गई :—

1. समाज शिक्षा केन्द्र
2. किसान साक्षरता योजना
3. ग्राम शिक्षा मोहिम
4. अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम 6 से 11 तथा 14 से 17 आयुवर्ग के बच्चों के लिए
5. अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम (15–25 आयु वर्ग के लिए)
6. राजकीय तथा गैर-सरकारी महाविद्यालयों द्वारा अनौपचारिक शिक्षा हेतु गांवों को अधिकार-क्षेत्र में ले लिया जाना।

समाज शिक्षा केन्द्र :

6.2. इस प्रकार के केन्द्र जिला जीन्द तथा महेन्द्रगढ मे चल रहे है। इन जिलों के चुने हुए गांवों में प्रौढ़ शिक्षा योजना को कार्यान्वित किया जाता है। इन गांवों में चल शिक्षा दस्ते निरक्षर लोगों को शिक्षित करते रहे। समाज शिक्षा के ये दस्ते जिनमें लगभग 30–30 अध्यापक/अध्यापिकाएं होती है, निरक्षर पुरुषों तथा महिलाओं को साक्षर करने तथा उनको दैनिक क.र्यों की जानकारी देने का कार्य करते है।

महिला केन्द्रों में पढ़ने-लिखने के अतिरिक्त घरेलू लाभदायक शिल्पों का ज्ञान भी दिया जाता है। गृह कार्य में निपुणता के लिए पौष्टिक आहार तैयार करने की भी पूरी पूरी जानकारी दी जाती है। इस स्कीम के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1976-77 में 3 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी।

समाज शिक्षा के 60—60 केन्द्र तीन अन्य जिलो, कुरुक्षेत्र, सोनीपत तथा भिवानी में भी प्रचलित कार्यविधि के अनुसार महिला तथा पुरुषो के साक्षर करने हेतु चलाये गये थे।

किसान साक्षरता योजना :

6.3. यह परियोजना वर्ष 1969-70 में आरम्भ की गई थी जो कि वर्ष 1976-77 में राज्य के 5 जिलों रोहतक, हिसार, गुड़गांव, करनाल तथा अम्बाला में चलाई गई। वर्ष 1976-77 में इस स्कीम के अन्तर्गत जिला सिरसा में भी साक्षरता कार्यक्रम चालू किया गया। इस स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में 60—60 केन्द्र चलाये गये और प्रत्येक केन्द्र में 30—30 प्रौढ़ों को शिक्षित करने की व्यवस्था की गई।

इस परियोजना के अनुसार ग्रामीण लोगो को पढ़ने-लिखने के अतिरिक्त कृषि सम्बन्धी नये-नये अविष्कारों तथा उपज बढ़ाने की नवीन विधियों की भी विशेष जानकारी दी गई। इस स्कीम पर सारी राशि भारत सरकार व्यय करती है। वर्ष 1976-77 में इस परियोजना के लिए 3.94 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

ग्राम शिक्षा मोहिम (प्रौढ़ शिक्षा) :

6.4. ग्राम शिक्षा मोहिम की परियोजना के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम वर्ष 1975 से जिला भिवानी, कुरुक्षेत्र और सोनीपत में शुरु किया गया था। रिर्पोटाधीन अवधि में प्रौढ़ शिक्षा का यह कार्यक्रम इन्हीं जिलों में चलता रहा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रौढ़ों को शिक्षा देने के लिए प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों, सेवा निवृत अध्यापकों तथा अन्य योग्य व्यक्तियों को 40 रुपये मासिक मानदेय के आधार पर नियुक्त किया गया।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम 11—13 तथा 14—17 आयु-वर्ग के बच्चों के लिए :

6.5. इस समय 11—13 आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर तक की

शिक्षा अनौपचारिक रुप में देने का कार्यक्रम 8 उप मण्डलों कैथल, महेन्द्रगढ़, नारायणगढ़ नरवाना, फिरोजपुर झिरका, फतेहाबाद, लोहारू तथा झज्जर में तथा 14–17 आयु वर्ग के बच्चों को मिडल स्तर की शिक्षा देने का कार्यक्रम झज्जर, लोहारु, फतेहाबाद तथा फिरोजपुर झिरका उप मण्डलों में चलाया गया। 11–13 आयु वर्ग के 714 विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त 31 एजेन्टों ने तथा 14–17 आयु-वर्ग के 340 विद्यार्थियों को ऐसे 17 एजैन्टों ने शिक्षित किया।

15–25 आयु वर्ग के युवक युवतियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम :

6.6. 15–25 आयु-वर्ग के युवक/युवतियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा का यह कार्यक्रम जिला जीन्द तथा जिला भिवानी में गत वर्ष चलाया गया था। रिपोर्टाधीन अवधि में यह कार्यक्रम करनाल तथा गुड़गांव जिला में भी आरम्भ कर दिया गया। इस परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में शिक्षा के लिए 100–100 केन्द्र स्थापित किये गये। इस परियोजना पर होने वाला खर्च राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा 50 : 50 के अनुपात में वहन किया गया।

नव साक्षरों के लिए पठन सामग्री :

6.7. सभी प्रकार के अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने तथा नव साक्षरों को उनके आयु वर्ग को ध्यान में रखते हुए पठन सामग्री उपलब्ध करने हेतु विशेष प्रकार का साहित्य तैयार करने के लिए भारत सरकार ने 20,000 रुपये स्वीकृत किये।

महाविद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा अनौपचारिक शिक्षा के लिए गांवों का चयन :

6.8. रिपोर्टाधीन अवधि में महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को समीपस्थ के एक-एक गांव का चयन करके उस गांव के सभी लोगों को साक्षर करने के लिए प्रेरित किया गया। इस सम्बन्ध में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया जिसकी एक बैठक वर्ष 1976 में हुई।

"अध्याय सात"

स्त्री शिक्षा

7.1. पिछले 10 वर्षों से स्त्री शिक्षा में सतोषजनक प्रगति हुई है और इस प्रगति का क्रम रिपोर्टाधीन अवधि में भी बना रहा। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु रिपोर्टाधीन वर्ष में भी अनेक प्रकार की सुविधाएं छात्राओं को उपलब्ध रही।

(क) सभी राजकीय विद्यालयों में पहली से आठवी कक्षा तक लड़कियो को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा उपलब्ध रही, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में लड़कियों से लड़कों की अपेक्षा ट्यूशन फीस कम ली जाती है। गैर-सरकारी विद्यालयों में भी छठी से ग्यारहवी कक्षा तक छात्राओ से फीस कम ली जाती है।

(ख) नौवीं, दसवी और ग्यारहवी कक्षाओं की उन हरिजन छात्राओ को क्रमशः 20,25 और 30 रुपये की दर से योग्यता छात्रवृत्ति दी जाती है, जो आठवी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करती है। प्रति वर्ष 50-50 छात्रवृत्तियां इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध की जाती है।

(ग) जिन स्थानों/गांवों में लड़कियों के लिए अलग स्कूल नही है, वहा पर लडकियों को लड़कों के स्कूलों मे प्रवेश प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है।

(घ) विधवाओं, पतियों से अलग रहने वाली, विवाह-विच्छेद वाली स्त्रियो के लिए जे0 बी0 टी0/एल0 टी0 सी0/नर्सरी प्रशिक्षण कक्षाओं मे कुछ स्थान आरक्षित भी रखे जाते हैं। ऐसी स्त्रियों को अधिकतम आयु सीमा मे साधारणत. ढील दे दी जाती है। ये स्त्रिया 31 वर्ष की आयु तक प्रवेश प्राप्त कर सकती है जबकि पुरुषो के लिए अधिकतम आयु-सीमा केवल 26 वर्ष है। ऐसे सैनिकों की पत्नियों या उनके आश्रितों के लिए, जो अयोग्य हो गये हों, या लड़ते लड़ते मारे गए हों, प्रवेश के लिए ऊपरी आयु-सीमा 41 वर्ष है।

7.2. सरकार के इन प्रयत्नों के फलस्वरुप राज्य में छात्रा संख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। गत वर्ष की भांति रिपोर्टाधीन अवधि में भी उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर के अतिरिक्त लड़कियों की संख्या में हर स्तर पर वृद्धि हुई है :—

शिक्षा स्तर	लड़कियों की संख्या (लाखों में)	
	1975-76	1976-77
1. प्राथमिक स्तर	3.52	3.76
2. माध्यमिक स्तर	0.92	0.95
3. उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	0.43	0.27
4. कालेज स्तर	0.21	0.22

छात्रवृत्तियां :

7.3 राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की अतिरिक्त छात्रवृत्तियां केवल लड़कियों को इस विचार से भी दी जाती है कि वे भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके और उनके माता-पिता तथा संरक्षक अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा में वाधा न डाल सकें। अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग की लड़कियो को भी प्रोत्साहन देने के लिए महाविद्यालय स्तर पर उन लड़कियो को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जिनके माता-पिता की आय निश्चित सीमा से कम हो।

वर्ष 1976-77 में लड़कियों को दी गई छात्रवृतियों का व्यौरा इस प्रकार है :—

छात्रवृत्ति का नाम	छात्रवृतियों की संख्या (केवल लड़कियों के लिए)	मासिक दर
1	2	3
स्कूल स्तर :		
मिडल स्कूल छात्रवृति	378	10 रुपये

1	2	3
उच्च स्कूल योग्यता छात्रवृति	411	15/- रुपये
महाविद्यालय स्तर :		
राज्य योग्यता छात्रवृति (उच्च/उच्चतर माध्यमिक-प्रथम भाग)	47	22/- रुपये
(क) प्रैप	83	45/- रुपये
(ख) उच्चतर माध्यमिक द्वितीय वर्ष	15	45/- रुपये
स्कूल स्तर पर हरिजन छात्राओं के लिए :		
योग्यता छात्रवृत्ति योजना :		
नौवीं श्रेणी	50	20/- रुपये
दसवीं श्रेणी	50	25/- रुपये
ग्यारहवी श्रेणी	50	30/- रुपये

7.4 कन्या शिक्षा संस्थाओं की संख्या :

वर्ष 1976-77 मे लड़कियों की शिक्षा संस्थाओं की संख्या इस प्रकार रही :

संस्था का स्तर	राजकीय	गैर-सरकारी	कुल
माध्यमिक स्तर	80	7	87
उच्च विद्यालय	101	83	184
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	20	2	22
महाविद्यालय	1	25	26

गत कुछ वर्षों में लड़कियों के विद्यालयों की संख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। इसका कारण यह रहा है कि जिन स्थानों पर लड़कियों के लिए अलग संस्थाएं नहीं थी, वहां उन्हें लड़कों के स्कूलों में ही प्रवेश प्राप्त करने की अनुमति है। परन्तु लड़कियों की शिक्षा को और प्रोत्साहन देने के लिए लड़कियों के लिए अलग प्राथमिक विद्यालय भी निम्नलिखित शर्तों पर खोले जाते हैं :—

1. यदि स्थानीय ग्रामीण जनता की मांग हो।
2. यदि स्थानीय जनता स्कूल-भवन के लिए प्रबन्ध करें।
3. यदि 30—40 लड़कियां स्कूल में प्रवेश प्राप्त करने की इच्छुक हो।
4. यदि एक मील के दायरे मे लड़कियों के लिए कोई और स्कूल न हो।

जिला शिक्षा अधिकारी लड़कियों के लिए अलग प्राथमिक शाखा विद्यालय भी खोल सकते है यदि उस गाव में लड़कियां पर्याप्त संख्या मे हो और अतिरिक्त अमला न देना पड़े।

हरिजन लड़कियों को मुफ्त वर्दियां देना

7.5. प्राथमिक तथा मिडल कक्षाओं में पढ़ने वाली हरिजन लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करनेहेतु वर्ष 1976-77 में 6,660 हरिजन लड़कियों को 15 रुपये प्रति वर्दी की दर से वर्दियां देनेहेतु 99,900 रुपये की राशि अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा स्वीकृत की गई।

महिला अध्यापिकाओं को सुविधा :

7.6. बहुत से गांवों में महिला अध्यापिकाओं के रहने के लिए उपयुक्त मकान उपलब्ध नहीं होते। इसलिए राजकीय स्त्री शिक्षा परिषद् की दिनांक 10-3-1976 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय को ध्यान मे रखते हुए विभाग ने केवल महिला अध्यापिकाओं को अपना कार्य स्थान प्रति-दिन छोड़ने की अनुमति दे दी है, यदि वह अपने निवास-स्थान से स्कूल में बस द्वारा एक घण्टे में पहुंच सकती है।

"अध्याय आठ"

शिक्षा-सुधार कार्यक्रम

8.1. शिक्षा में गुणात्मक सुधारों के लिए विभाग द्वारा विशेष पग उठाए गए हैं। नवीन शिक्षण पद्धतियों तथा विधियों के अनुसार शिक्षा देने के लिए राज्य शिक्षा संस्थान तथा राज्य विज्ञान संस्थान समय-समय पर अध्यापको का मार्ग दर्शन करते रहे। इस के अतिरिक्त शिक्षा समस्याओं के समाधान के लिए विशेष अनुसंधान भी किये गये।

राज्य शिक्षा संस्थान :

8.2. राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना राज्य में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार तथा शिक्षा में अनुसंधान करने हेतु की गई थी। इसके अतिरिक्त इस संस्थान में अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण भी दिया गया। 1976-77 में इस केन्द्र में कई प्रकार की संगोष्ठियां तथा सैमीनार आयोजित किये गये। इस संस्थान द्वारा इस वर्ष 100 जे0बी0टी0 अध्यापकों को मिडल कक्षाओं को संस्कृत पढ़ाने के लिए एक मास का प्रशिक्षण भी दिया।

इस संस्थान में 'प्राथमिक अध्यापक' नामक मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता है। यह पत्रिका प्रत्येक प्राथमिक अध्यापक को भेजी जाती है। इसमें अध्यापक अध्यापन विषयक अपनी समस्याओं के बारे अपने विचार प्रकट कर सकते है।

राज्य विज्ञान संस्थान :

8.3. राज्य विज्ञान संस्थान की स्थापना वैज्ञानिक क्षेत्र मे हो रहे अनुसंधानों से अध्यापकों को अवगत कराने तथा विज्ञान शिक्षण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हुई थी। इसलिए यह संस्थान विज्ञान शिक्षा के स्तर को समुन्नत करने के लिये प्रयत्नशील रहा। इस संस्थान ने वर्ष 1976 में अध्यापकों/मास्टरों के लिए विभिन्न प्रकार के

पुनश्चर्या कोर्स/सेवा कालीन प्रशिक्षण आयोजित किये। वर्ष 1976 में इस संस्थान को करनाल से गुडगांवा में बदल दिया गया है।

युनिसिफ स्कीम के अन्तर्गत विज्ञान शिक्षा-सुधार कार्यक्रम :

8.4 यह स्कीम वर्ष 1970-71 से प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा के स्तर को समुन्नत करने तथा विज्ञान शिक्षा में सुधार लाने के लिए शुरु की गई थी। वर्ष 1976-77 मे इस स्कीम के अन्तर्गत जे0बी0टी0 अध्यापकों, राज्य के खण्ड शिक्षा अधिकारियों/उप मण्डल शिक्षा अधिकारियों/उप जिला शिक्षा अधिकारियों तथा विज्ञान विशेषज्ञों को निदेशक, राज्य विज्ञान संस्थान, गुड़गांव द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

राज्य के सभी राजकीय उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कम से कम एक पद विज्ञान स्नातक और एक पद गणित स्नातक अध्यापकों का रखा जाता है। स्कूलों की प्रयोगशालाओं को सुसज्जित करने हेतु सरकार ने विज्ञान निधि की दरों में वृद्धि कर दी है। इस प्रकार 1-4-1976 से छात्रों से विज्ञान निधि नीचे दी गई दरों से ली जाती है :—

1. नौवीं और दसवीं कक्षा में 1.50 रुपये प्रति मास प्रति छात्र।

2 छठी, सातवी, आठवी कक्षाओं में 0.50 रुपये प्रति मास प्रति छात्र।

शाला संगम :

8.5. प्राथमिक अध्यापकों की व्यावसायिक कुशलता को बढ़ाने के लिए शाला सगम योजना चालू की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य के लगभग 850 राजकीय उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए शाला संगम केन्द्र स्थापित किए गए है, जहां पर स्कूल का मुखिया अपने योग्य तथा अनुभवी अध्यापकों की सहायता से प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित शैक्षिक विषयों पर चर्चा/परिचर्चा आरम्भ करता है तथा अध्यापक अपनी कक्षा की अध्यापन समस्याओ पर परस्पर विचार-विमर्श भी करते हैं।

प्राथमिक अध्यापकों की उक्तमासिक बैठकों में उनका आवश्यक मार्ग दर्शन करने के उद्देश्य से सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप मण्डल शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी भी भाग लेते है।

कार्य अनुभव :

8.6. यह स्कीम बेसिक शिक्षा के उद्देश्य पर आधारित है। वर्ष 1974-75 के अन्त में कार्य अनुभव कार्यक्रम 40 स्कूलों में चलाया जा रहा था। वर्ष 1975-76 में इस स्कीम के अन्तर्गत अन्य 27 प्राथमिक, 35 मिडल तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में भी यह कार्यक्रम आरम्भ किया गया। रिर्पोटाधीन अवधि में इस स्कीम के अन्तर्गत राजकीय उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 1,87,070 रुपये की राशि की व्यवस्था की गई थी।

शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराना :

8.7. (क) वार्षिक योजना 1976-77 के अन्तर्गत स्वीकृत चालू तथा नये निर्माण कार्यों पर कुल 43.88 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

क्रम संख्या	निर्माण-कार्य	वर्ष 1976-77 में खर्च की जाने वाली राशि
		रुपये (लाखों में)
1.	राजकीय प्राथमिक स्कूल, तोशाम	0.26
2.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नारनौल	3.06
3.	बी0 एन0 सी0 राजकीय महाविद्यालय, भिवानी	1.18
4.	राजकीय महाविद्यालय, हिसार	11.00
5.	राजकीय महाविद्यालय, करनाल के लिए भूमि की खरीद	9.45
6.	जिला पुस्तकालय, जीन्द	0.69
7.	राज्य शिक्षा संस्थान तथा विज्ञान संस्थान	0.20
8.	राजकीय सह-शिक्षा उच्च विद्यालय, प्रेम नगर	1.60
9.	राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पानीपत	2.12
10.	राजकीय महाविद्यालय, भिवानी के लिए छात्रावास	4.36
11.	राजकीय महाविद्यालय, कालका	9.54
12.	फुटकर	0.42
	कुल :	43.88

(ख) इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 1976-77 में विद्यालयों को भवनों की विशेष मुरम्मत/परिवर्धन/परिवर्तन के लिये योजनेतर से 5.50 लाख रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई।

(ग) प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की मुरम्मत हेतु योजनेतर स्तर पर 2.50 लाख रुपये की राशि विकास विभाग के माध्यम से 18 पंचायत समितियों को दी गई थी।

(घ) राज्य के विभिन्न स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं में सुधार हेतु तथा फर्नीचर. टाट आदि की कमी को दूर करने हेतु वर्ष 1976-77 में निदेशक, शिक्षा द्वारा उन स्कूलों की छात्र-निधियो में से 24.68 लाख रुपये की राशि विशेष स्वीकृतियां प्रदान की गई। ये स्वीकृतियां छात्र निधि नियमावली के नियम 22 के अन्तर्गत जारी की गई थी ।

स्वीकृत राशि का जिलावार विवरण इस प्रकार है :—

	रुपये
अम्बाला	3,60,301
गुड़गांव	3,95,230
हिसार	2,40,653
जीन्द	1,33,950
भिवानी	3,53,160
करनाल	1,17,126
कुरुक्षेत्र	2,14,420
महेन्द्रगढ़	1,33,219
रोहतक	3,26,814
सिरसा	1,00,919
सोनीपत	91,861

आयोजना फोरम :

8.8. वर्ष 1976-77 में दो नये आयोजना फोरम रजिस्टर किये गये अर्थात् कुल 119 फोरम को 51200 रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

"अध्याय नौ"

छात्रों के लिए छात्रवृतियां तथा अन्य वित्तीय सहायता

9.1. भिन्न-भिन्न स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भिन्न-भिन्न स्कीमो के अन्तर्गत प्रति वर्ष अनेक प्रकार की वित्तीय सहायता तथा छात्रवृतियां भी दी गई।

भारत सरकार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना :

9.2. इस योजना के अन्तर्गत महाविद्यालयों में पढ़ने वाले योग्य छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1976-77 में 8.70 लाख रुपये की राशि वितरित की गई। हरियाणा राज्य के प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के बच्चों को भारत सरकार भिन्न-भिन्न परीक्षाओं के आधार पर छात्रवृत्तियां भी देती है। वर्ष 1976-77 में ऐसी छात्रवृत्तियां पर 29000 रुपये की राशि व्यय की गई।

महाविद्यालयों में राज्य योग्यता छात्रवृत्ति योजना :

9.3. योग्य हरियाणवीं छात्रों को राज्य की मैट्रिक उपरान्त संस्थाओं में पढ़ने के लिए योग्यता छात्रवृतियां दी गई। वर्ष 1976-77 में 636 छात्रों को 377 लाख रुपये की छात्रवृतियां प्रदान की गई।

सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले हरियाणवी छात्रों को छात्रवृत्तियां :

9.4. रिर्पोटाधीन वर्ष में सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले 600 छात्रों को 21,60,785 रुपये की छात्रवृतियां दी गई।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना :

9.5. इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार निर्धन माता-पिता के कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले योग्य बच्चों को ऋण के आधार पर छात्रवृतियां

देती है। वर्ष 1976-77 में 2,90,260 रुपये की राशि इस प्रयोजन के लिए व्यय की गई।

स्कूलों के छात्रों के लिए योग्यता छात्रवृत्ति योजना :

9.6 राज्य सरकार की ओर से माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रो के लिए 1014 योग्यता छात्रवृतियां 10 रुपये मासिक दर से और उच्च/उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए 668 छात्रवृतियां 15 रुपये मासिक दर से दी जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना :

9.7 ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य बच्चो के लिए माध्यमिक स्तर पर भारत सरकार तथा राज्य की ओर से दो-दो छात्रवृतियां प्रति विकास खंड में दी जाती है। चुने गये स्कूल के छात्रावास में रहने वाले छात्रों को 1000/– रुपये प्रति वर्ष और अन्य स्कूलों के छात्रों को 500 रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृति दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो छात्र अपनी इच्छा के स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते है और फीसें देते है, उन्हें 250/– रुपये प्रति वर्ष और जहां फीसें नही ली जाती, वहां 150/– रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृति दी जाती है। वर्ष 1976–77 में इस प्रयोजन के लिये 2,73,070/– रुपये की राशि व्यय की गई।

संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां :

9.8 नौवीं, दसवी तथा ग्यारहवीं कक्षा में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को 10/– रुपये प्रति मास की दर से छात्रवृतियां भारत सरकार द्वारा दी जाती है। वर्ष 1976–77 में इस प्रयोजन के लिए 6000/– रुपये की व्यवस्था की गई थी।

तेलगु पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृतियां :

9.9 हरियाणा में सातवीं कक्षा से तेलगू भाषा की शिक्षा तीसरी भाषा के रुप मे दी जाती है। वर्ष 1976–77 में 10/– रुपये प्रति मास की दर से छात्रवृतिया दी गई और इस कार्य के लिए 37086/– रुपये की राशि व्यय की गई

अनुसूचित जातियां/पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए सुविधाएं :

9.10 अनुसूचित जातियों एवं पिछडे वर्गों के छात्रों को सभी प्रकार की

शैक्षणिक, व्यावसायिक सुविधाएं तथा तकनीकी शिक्षा आदि के लिए विशेष सुविधाएं तथा वित्तीय सहायता दी जाती है । ऐसे छात्र बिना किसी भेदभाव के राज्य की सभी मान्यता-प्राप्त संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त कर सकते है। उन्हे राज्य की ओर से निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध है :—

(1) पांचवी श्रेणी से एम0ए0/एम0एस0सी0 कक्षाओं तक निःशुल्क शिक्षा

(2) नौवीं कक्षा से छात्रवृति की सुविधा,

(3) परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति.

राज्य हरिजन कल्याण योजना :

9.11 स्कूल स्तर पर अनुसूचित जातियो तथा पिछड़े वर्गो के नौवी, दसवो तथा ग्यारहवी कक्षा के विद्यार्थियों को 8/–रुपये प्रति मास की दर से छात्रवृतिया दी गई। इसके अतिरिक्त परीक्षा-शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है ।

महाविद्यालय स्तर पर पिछड़े वर्गो के छात्रों को भिन्न-भिन्न कक्षाओं/कोर्सो में 15/–रुपये, 20/–रुपये तथा 25/-रुपये मासिक दर से छात्रवृतियां दी जाती है। निःशुल्क शिक्षा के अतिरिक्त इन छात्रो को परीक्षा-शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की गई । वर्ष 1976–77 में इस प्रयोजन के लिए 3902000/- रुपये की व्यवस्था की गई थी ।

स्कूल स्तर पर छात्रवृतियों की स्वीकृति देने के लिए उप-मण्डल शिक्षा अधिकारी सक्षम है। राजकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृतियां उन्हीं महाविद्यालयों के प्राचार्य स्वीकृत कर सकते है, जिससे छात्रों को समय पर छात्रवृति मिल जाती है परन्तु गैर-सरकारी महाविद्यालयो मे पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृति की स्वीकृति सहायक निदेशक, छात्रवृति द्वारा दी जाती है । छात्रो को छात्रवृतियां तथा अन्य सभी प्रकार की वित्तीय सहायता उनके माता-पिता/संरक्षकों की वार्षिक आय के आधार पर दी जाती है । वार्षिक आय की अधिकतम सीमा 4200/-रुपयें निर्धारित है ।

हरियाणा राज्य में हरिजन छात्राओं के लिए योग्यता छात्रवृत्ति योजना :

9.12 नौवी, दसवी तथा ग्यारहवी कक्षाओं की हरिजन छात्राओं के लिये 150 छात्रवृतियों की व्यवस्था है। प्रति वर्ष 50 नई छात्रवृतियां प्रत्येक कक्षा मे अर्थात नौवो दसवी तथा ग्यारहवी कक्षाओं में क्रमशः 20/- रुपये, 25/- रुपये तथा 30/- रुपये प्रति मास की दर से दी जाती है। वर्ष 1976–77 मे इसके लिये 42,300/- रुपये की व्यवस्था की गई थी।

विमुक्त जाति छात्रवृत्ति योजना :

9.13 विमुक्त जाति के बच्चों को स्कूल तथा महाविद्यालय स्तर पर छात्रवृतियां देने के लिए अलग से विमुक्त जाति कल्याण योजना चल रही है। वर्ष 1976–77 में इस प्रयोजना के लिए 40,300 रुपये की व्यवस्था की गई थी।

अनुसूचित जाति के छात्रों को भारत सरकार मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्ति :

9.14 अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिक उपरान्त स्तर पर छात्रवृतिया, शिक्षा-शुल्क तथा अनिवार्य रुप से ली जाने वाली शुल्क की राशि भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त इन छात्रों को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। ऐसे छात्रवृतियों को दरें कक्षा/कोर्स-अनुसार भिन्न भिन्न है जो कि 40/-रुपये प्रति मास से 140/- रुपये प्रति मास तक है। ये छात्रवृतियां माता पिता/सरंक्षक की वार्षिक आय के आधार पर दी जाती हैं। 500 रुपये तक मासिक आय वाले माता-पिता/सरंक्षकों के बच्चों को पूर्ण छात्रवृति तथा अन्य पूर्ण सुविधाएं दी जाती हैं परन्तु 501 रुपये से 750 रुपये तक की आय वाले माता-पिता/सरंक्षकों के बच्चों को छात्रवृति आधी दर पर तथा अन्य सुविधाएं पूर्ण रुप से दी जाती है। वर्ष 1976–77 में इस प्रयोजनार्थ लगभग 3877760/- रुपये की राशि की व्यवस्था की गई थी।

कम आय वर्ग के छात्रों को छात्रवृति :

9.15 इस स्कीम के अर्न्तगत जिन छात्रों के माता-पिता/सरंक्षकों की वार्षिक आय 1800/-रुपये या इससे कम हो, उनको मैट्रिक उपरान्त स्तर पर छात्रवृति दी जाती है। इस छात्रवृति की दर 27 रुपये 65 पैसे प्रति मास है और छात्रवृति के लिए अतिरिक्त शिक्षा शुल्क/अनिवार्य निधियां तथा परीक्षा-शुल्क की सुविधा भी दी जाती है। वर्ष 1976–77 में इस प्रयोजनार्थ 1,17,500/- रुपये की व्यवस्था की गई थी।

"अध्याय दस"

विविध

खेल-कूद :

10.1 राज्य की शिक्षण पद्धति में खेल कूद को उचित स्थान प्राप्त है। खेलों पर व्यय प्राय शिक्षा-संस्थाओं की समायोजित निधि से किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार भी अपने खाते से कुछ धनराशि अनुदान के रूप मे खेलों के विकास के लिए देती है। वर्ष 1976–77 में राज्य सरकार द्वारा 29,000/- रुपये की धनराशि अन्र्त-जिला/अन्र्तराज्य खेलकूद प्रतियोगिताओं एवं जूनियर हाकी प्रतियोगिता के लिए स्वीकृत की गई। अन्र्त-राज्यीय प्रतियोगिताओं मे राज्य के छात्रों/टीमों द्वारा निम्नलिखित स्थान प्राप्त किये गये :—

1 शरद्कालीन :	कोई उपलब्धि नही
2. शीतकालीन	(दिसम्बर 1976. वाराणसी)

लड़के :

कुशती :	2 स्वर्ण पदक
,,	2 रजत पदक
जैवलन थरी:	1 कांस्य पदक
	1 स्वर्ण पदक
100 मीटर दौड़:	1 स्वर्ण पदक
200 मीटर दौड़:	1 रजत पदक
पोलवार्ट	1 स्वर्ण पदक

पोलवार्ट (जूनियर)	1 रजत पदक
डिसकस थ्रो:	1 कांस्य पदक

लड़कियां :

गोला फेंकना:	1 रजत पदक
ग्रौल राउण्ड जैमनास्टिक	2 रजत पदक
जैमनास्टिक	भारत में तीसरे दर्जे पर
कुशती:	भारत मे दूसरे दर्जे पर।

छात्रों के खेलकूद के स्तर को समुन्नत करने में राज्य के खेलकूद विभाग को पूर्ण सहयोग उपलब्ध है। विद्यालयों के व्यायाम प्रशिक्षकों तथा इस विषय मे विशेष रुचि लेने वाले ग्रध्यापकों व छात्रों को खेलकूद में ग्राधुनिक वैज्ञानिक ढंग का ज्ञान प्राप्त कराने के उद्देश्य से राज्य का खेलकूद विभाग प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की भी योजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रयत्नशील है।

नैशनल फिटनैस कोर योजना :

10.2 राज्य की शिक्षा संस्थाग्रों में शारीरिक शिक्षा को ग्रौर महत्व देने के उद्देश्य से नैशनल फिटनैस कोर योजना चालू है। इसके ग्रधीन छात्रों को ड्रिल, मार्चिंग, लैजियम, छोटे बड़े खेल, जैमनास्टिक, मालखम्ब, योगभ्यास ग्रादि का प्रशिक्षण देने के ग्रतिरिक्त नागरिकता के सिद्धान्त तथा राष्ट्रीय ग्रादर्शों के सम्बन्ध में भी जानकारी दी जाती है। इस योजना पर राज्य सरकार द्वारा किये गए समस्त व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार करती है।

एन: एस: एस: योजना :

10.3 महाविद्यालय स्तर पर छात्रों के व्यक्तित्व ग्रौर उनके बौद्धिक विकास के लिए भारत सरकार ने एन:एस: स्कीम लागू की है। हरियाणा राज्य ने भी यह स्कीम महाविद्यालयों के छात्रों के लिए वर्ष 1970–71 में लागू की

श्रौर उस समय से यह परियोजना निरन्तर चल रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत खर्च की बाट भारत सरकार और राज्य सरकार में 7:5 अनुपात मे है।

आरम्भ में यह स्कीम हरियाणा राज्य के केवल 40 महाविद्यालयों मे लागू की गई थी परन्तु वर्ष 1976–77 के अन्त तक एन:एस:एस: योजना का कार्यक्रम राज्य के 100 महाविद्यालयों में चलाया जा रहा था । वर्ष 1976–77 में इस स्कीम के अन्तंगत 1,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया .

वर्ष 1976–77 के दौरान एन·एस:एस: स्कीम के अन्तर्गत 'ग्रामीण पुर्ननिमार्ण में युवावर्ग का योगदान' अभियान के अधीन हरियाणा राज्य में शिविर लगाये गये जिनमें छात्रों तथा अधिकारियों ने भाग लिया । इन शिविरों पर 175060/- रुपये खर्च किये गये । शिविरों के दौरान निम्नलिखित के सम्बन्ध में कार्य हुआ :–

1. पर्यावारक स्वच्छता
2. प्रमुख टीका तथा परिवार कल्याण सहित प्रतिरक्षण जैसे चिकित्सा समाज कार्य ।
3. पेय जल की व्यवस्था
4. जहां सम्भव हो, गोबर गैस संयन्त्रों का निर्माण
5. प्रौढ शिक्षा

भारत सेवक समाज :

10.4 भारत वर्ष में यह संस्था भारत सेवक समाज के नाम से स्थापित है जिसकी शाखाएं राष्ट्र के भिन्न भिन्न भागों में स्थित है। इस संस्था द्वारा समुदाय विकास अधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों के परामर्श से स्थान चुनकर शिविर आयोजित किये जाते हैं, जिनमें स्कूलों के छात्रों को भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया ।

एन: सी: सी:

10.5 स्कूलों तथा कालिजों के छात्रों को सैनिक शिक्षा देने हेतु भारत सरकार ने वर्ष 1948 में एन:सी:सी: स्कीम लागू की । यह स्कीम भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाये नियामानुसार चलाई जा रही है। इस राज्य की शिक्षा संस्थाओं

में इस स्कीमके अन्तर्गत सेना की तीनों शाखाओं स्थल, समुद्री, तथा वायु सेनाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। महाविद्यालयों के छात्रों के लिये सीनयर डिवीजन तथा स्कूलों के छात्रों के लिये जूनियर डिवीजन स्थापित किए हुए है। छात्राएं केवल सेना की दोनों डिवीजनों में प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं।

इस स्कीम को चलाने का खर्च नियमानुसार भारत सरकार तथा राज्य सरकार मिलकर करती है। इस कार्यक्रम के लिये राज्य सरकार ने वर्ष 1976–77 में कुल 44.43 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की थी।

वर्ष 1976–77 में हरियाणा राज्य में सीनियर/जूनियर डिवीजन की बटालियन और उसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या निम्नलिखित थी :–

सीनियर डिवीजन	बटालियन की संख्या	कैडैटस की संख्या।
1. इनफैण्टरी बटालियन (लड़कों के लिये)	16	9680
2. इनफैण्टरी बटालियन (लड़कियों के लिये)	2	1685
3. वायु स्क्वाड्रन	2	400
4. जल बटालियन यूनिट (नैवल)	1	200
5. ग्रुप हेडक्वार्टर	2	200
कुल	23	12165

जूनियर डिवीजन	बटालियन की संख्या	कैडैटस की संख्या
1. इनफैण्टरी बटालियन (लड़कों के लिये है)	163	10610
2. इनफैण्टरी बटालियन (लड़कियों के लिये)	12	715
3. जल विंग	6	1010
4. वायु विंग	15	390
कुल	196	12725

इसके अतिरिक्त वर्ष 1976-77 में एन· सी: सी: के 26 शिविर लगाये गये जिनमें 165 अधिकारियों तथा 4328 कैडेटों ने भाग लिया।

केयर स्कूल फीडिंग कार्यक्रम :

10.6. इस स्कीम के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन का लाभ हरियाणा मे केयर की सहायता से 83 शिक्षा खण्डों में दिया जा रहा है। इस समय इस योजना के अन्तर्गत देहाती क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्कूलों के छात्र/छात्राओं को मध्यान्ह भोजन देने की व्यवस्था है। यह खाद्य सामग्री केयर द्वारा मुफ्त दी जाती है। प्रत्येक छात्र को 80 ग्राम दलिया तथा 7 ग्राम सलाद/पीनट आईल दिया जाता है। वर्ष 1976-77 मे 2.35 लाख छात्रों को वर्ष मे 220 दिन भोजन दिए जाने का लक्ष्य था।

शिक्षा विभाग ने 1976-77 मे इस योजना पर 16.23 लाख रुपये खर्च किए जिसमे से 7.50 लाख रुपये की राशि केयर संगठन को प्रशासनिक व्यय के रूप में दी गई तथा शेष राशि आकस्मिक प्रभारों तथा परिवहन के रूप में खर्च की गई।

इस वर्ष केयर योजना को सुचारू रुप से चलाने के लिए 6 प्रादेशिक गोदाम बनाये गये हैं ताकि स्कूलों को खाद्य सामग्री की पूर्ति नियमित रूप से होती रहे और वह सुरक्षित भी रहे। इस कार्य के लिए रिपोर्टाधीन अवधि में सरकार ने 58.000 रुपये की व्यवस्था की है। इन गोदामो का निर्माण केयर संगठन द्वारा किया जा रहा है।

भारत स्काऊटस एण्ड गाईड :

10.7. राज्य की शिक्षा संस्थाओ में भारत स्काऊट्स एण्ड गाईड्ज आन्दोलन छात्रों में भ्रातृ प्रेम, नेतृत्व की भावना तथा जनजाति की सेवा करने का भाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। यह आन्दोलन हरियाण. भारत स्काऊट्स एण्ड गाईड्ज एसोसिएशन के संरक्षण मे चल रहा है।

वर्ष 1976-77 में हरियाणा भारत स्काउट्स एण्ड गाईडज एसोसिएशन द्वारा 23 ब्वाय स्काऊट्स तथा 8 गलर्ज गाईडज के प्रशिक्षण शिविर लगाये गये जिनमें 5348 स्काऊट्स तथा 535 गाईडज ने भाग लिया। राज्य के 148 स्काऊट्स तथा 152 गाईड्ज ने प्रैजीडैन्ट स्काऊट्स/गाईड के स्तर की योग्यता प्राप्त की और उनको राष्ट्रपति ने प्रमाण पत्र प्रदान किये।

राज्य सरकार द्वारा इस संस्था को 56,000 रुपये योजनेतर से तथा 49870 रुपये योजना बजट से अनुदान के रूप में दिए गए।

सूर्यग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र मे 25-4-76 से 1-5-76 तक जो मेला लगा, उसमें स्काऊट्स तथा गाईडज द्वारा सराहनीय जनसेवा किए जाने के कारण राज्य सरकार ने 10,0000 रुपये की धनराशि विशेष अनुदान के रूप मे दी। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष दिए जाने वाले अनुदान की राशि 56,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर देने की घोषणा भी की गई।

रेलवे सर्विस दिवस के अवसर पर दिनांक 20-2-77 को लगभग 300 स्काऊट्स तथा 300 गाईडस ने अम्बाला छावनी तथा सोनीपत रेलवे स्टेशनों पर जनता की सेवा की।

इस संस्था के स्काऊट्स तथा गाईडज ने राष्ट्रीय स्तर तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के शिविरों मे भी भाग लिया। 14 से 24 अगस्त 1976 तक हांगकांग में हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश की 4 गाईडज ने भाग लिया। इनमें से एक हरियाणा के राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अम्बाला शहर की संगीता खन्ना भी चुनी गई थी।

रैडक्रास :

10.8 रैडक्रास संस्था समाज के रोगियों, घायलों, अंगहीन तथा निर्धनो की सहायता करने में महत्त्वपूर्ण कार्य करती है। संस्था के लक्ष्य एवं उद्देश्य को छात्रों में प्रिय बनाने के उद्देश्य से राज्य में जिला स्तर पर जूनियर रैडक्रास संस्थाएं जिला शिक्षा अधिकारियों की अध्यक्षता मे स्थापित हैं। विद्यालयों में रैडक्रास फण्ड से जरुरत मंद बच्चों को पुस्तकें, वर्दियां, चिकित्सा सहायता तथा आर्थिक सहायता भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त विद्यालयो के रैडक्रास फण्ड में एकत्रित की जाने वाली राशि का कुछ प्रतिशत साकेत में अंगहीन बच्चों तथा व्यक्तियो की चिकित्सा हेतु प्रति वर्ष दिया जाता है।

इस वर्ष संस्था द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किये गये तथा बाढ़ एवं सूखा से पीड़ित व्यक्तियो के लिए 3,93,345 रुपये की सहायता दी गई। संस्था ने इस वर्ष 1625061 यूथ रैडक्रास सदस्य बनाये। शुद्ध पेय जल की सुविधा हेतु तथा गरीब

बच्चों को वर्दियां, पढ़ाई का खर्च तथा पुस्तकें आदि देने पर 840470 रुपये खर्च किए गये। संस्था ने 26 यूथ रैडक्रास तथा कौसलर्ज कैम्प भी आयोजित किए। शिक्षा संस्थाओं में छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह उपचर्या का प्रशिक्षण भी दिया गया।

पुस्तकालयों का विकास :

10.9. (क) वर्ष 1976-77 में राज्य में कुल निम्नलिखित सात पुस्तकालय थे। इन में से अम्बाला में स्थित पुस्तकालय राज्य स्तर का है और शेष जिला स्तर के पुस्तकालय हैं :—

1. राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, अम्बाला छावनी।
2. जिला पुस्तकालय, जीन्द।
3. जिला पुस्तकालय, रोहतक।
4. जिला पुस्तकालय, गुड़गांव।
5. जिला पुस्तकालय, नारनौल।
6. जिला पुस्तकालय, हिसार।
7. जिला पुस्तकालय, भिवानी।

इनके अतिरिक्त कुंजपुरा (करनाल) में एक ग्रामीण पुस्तकालय भी स्थापित किया गया है। इन पुस्तकालयों में जनता को भिन्न-भिन्न विषयों पर उपयोगी पुस्तकें पढ़ने के लिए उपलब्ध की जाती है। वर्ष 1976-77 में इन पुस्तकालयों के लिए केवल 4.34 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। जिला तथा केन्द्रीय पुस्तकालयो के लिए नई पुस्तकें खरीदने के लिए 60,000 रुपये की अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत की गई।

(ख) स्कूलों के पुस्तकालयों को उत्तरोतर सुसज्जित करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकाशनों तथा लेखकों द्वारा प्रकाशित लगभग 55 पुस्तकों का अनुमोदन रिपोर्टाधीन अवधि में किया गया।

शिक्षा संथाओं के लिए पुस्तकें अनुमोदित करने के लिए अतिरिक्त विभाग द्वारा गठित विभागीय थोक खरीद समिति द्वारा वर्ष 1976-77 में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 50,000 रुपये की राशि की 259 पुस्तकों के 157 सैट शिक्षा संस्थाओं के पुस्तकालयों के लिए भी खरीदे गए। ये पुस्तकें प्रायः शिक्षा, विज्ञान, देश भक्ति, राष्ट्रीय वीरों तथा नेताओं की जीवनी पर आधारित है।

हरियाणा राज्य राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान :

10.10. 5 सितम्बर, 1976 को पन्द्रहवां शिक्षक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण कोष के लिए (1-4-76 से 31-3-77 तक) 607283 रूपये की राशि एकत्रित की गई तथा 126 विपदाग्रस्त अध्यापकों को और उनके आश्रितों को इस कोष में से 1,29,752 रुपये की राशि सहायता के रूप में दी गई।

परिशिष्ट 'क'

31-3-77 को निदेशालय स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारी

क्रम संख्या	पद का नाम	वर्ग	अधिकारी का नाम
1	2	3	4
1.	निदेशक शिक्षा	प्रथम	1. श्री एल0 एम0 गोयल, आई: ए: एस:, 31-8-76 तक 2. श्री एल0 एम0 जैन, आई: ए: एस:, (7-9-76 से वर्ष के अन्त तक)
2.	संयुक्त निदेशक, प्रशासन	प्रथम	श्री आर0 एस0 कैले, आई: ए: एस:, (2-4-76 से वर्ष के अन्त तक)
3.	संयुक्त निदेशक, शिक्षा	प्रथम	श्री कुलदीप सिंह बत्रा, एच: ई: एस. (1) पूर्ण वर्ष
4.	उप निदेशक, विद्यालय	प्रथम	श्रीमती राज दुलारी एच. ई. एस: (I) पूर्ण वर्ष
5.	उप निदेशक, महाविद्यालय	प्रथम	श्री धर्म सिंह ढिल्लों, एच ई: एस: (I) पूर्ण वर्ष
6.	उप निदेशक, योजना	प्रथम	श्री बी: डी: शर्मा, एच: ई: एस: (I) 15-7-76 से वर्ष के अन्त तक
6-ए.	अध्यक्ष, अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा	प्रथम	श्री के0 एल0 जाकिर, एच: ई. एस:, पूर्ण वर्ष
7.	सहायक निदेशक, परीक्षा	द्वितीय	श्री प्रेम प्रकाश गोसाई, एच: ई. एस: 9-4-76 से वर्ष के अन्त तक।

1	2	3	4
8.	सहायक निदेशक, आंकड़ा	द्वितीय	श्रीमती पुष्पा अवरोल, एच: ई: एस:, पूर्ण वर्ष
9.	सहायक निदेशक, छात्रवृति	द्वितीय	श्री विजय सिंह राव, एच: ई: एस:, पूर्ण वर्ष
10	सहायक निदेशक, पुस्तकें	द्वितीय	श्री बासुदेव छाबड़ा, एच ई: एस:, पूर्ण वर्ष
11.	सहायक निदेशक, शिक्षक प्रशिक्षण	द्वितीय	श्री एस0 एस0 कौशल, एच: ई: एस:, पूर्ण वर्ष
12.	सहायक निदेशक, स्कूल	द्वितीय	श्री बी: आर: बजाज, एच: ई: एस:, पूर्ण वर्ष
13.	सहायक निदेशक, शिक्षक स्थापना	द्वितीय	श्री मनमोहन सिंह चौधरी, एच: ई: एस: 3-5-76 से वर्ष के अन्त तक ।
14.	सहायक निदेशक, निर्माण	द्वितीय	श्री नरेन्द्र कुमार, एच ई एस:, पूर्ण वर्ष
15.	प्रशासन अधिकारी	द्वितीय	1. श्री किशोरी लाल शर्मा, एच: एस: एस:, (26-5-76से 30-9-76 तक) 2. श्री मदन लाल खुराना, एच: एस: एस:, (12-10-76 से वर्ष केअन्त तक)
16.	रजिस्ट्रार शिक्षा	यथोपरि	श्री गुरदियाल सिंह, पूर्ण वर्ष
17.	लेखा अधिकारी–।	यथोपरि	श्री डी: आर: तलवाड़, पूर्ण वर्ष
18.	लेखा अधिकारी–।।	यथोपरि	श्री जे0 पी0 रत्न, पूर्ण वर्ष
19.	बजट अधिकारी	यथोपरि	श्री कृष्ण गोपाल, पूर्ण वर्ष ।

परिशिष्ट 'ख'

31-3-77 की स्थिति-अनुसार

क्रमांक	जिले का नाम	जिला शिक्षा अधिकारी का नाम	उप-मण्डल शिक्षा अधिकारी का नाम
1	2	3	4
1.	अम्बाला	श्री देवराज सिंह गिल	श्री आर: एस: शर्मा, अम्बाला कुमारी वी: भोला, जगाधरी, श्री धर्मवीर कपूर, नारायणगढ
2.	भिवानी	श्री चन्द्रभान	रिक्त भिवानी श्री ओ: पी: सेठ, चरखी-दादरी श्री वी: पी: गौतम, लोहारू
3.	गुड़गांव	श्री प्रेम प्रकाश	श्री गुगन सिंह, गुडगाव श्रीमती पी. चड्ढा, पलवल श्री जे: सी: तनेजा, नूह श्री इन्द्रसैन धई, बल्लबगढ़ श्री हरबंस सिंह, फिरोजपुर झिरका
4.	हिसार	श्री एम: पी: जैन	श्री जे: पी: शर्मा, हिसार श्री ओ. पी. बत्रा, हांसी श्री आर: एन: वेद, फतेहबाद
5.	जीन्द	श्री जे: के: सूद	श्री ओ: पी: गुप्ता, जीन्द श्री साधुराम जैन, नरवाना
6.	करनाल	मिस शान्ता राजदान	श्री वी आर गोयल, करनाल श्रीमती जानकी बाई, पानीपत

1	2	3	4
7.	कुरुक्षेत्र	श्री के सी पल्टा	श्री पी सी चौधरी, थानेसर
			श्री जी एस शर्मा, कैथल
8.	महेन्द्रगढ़	कुमारी पी ग्रोवर	श्री सोहन लाल, नारनौल
			श्री एस एस राधव, रिवाड़ी
			श्री आर. एल. रायजादा, महेन्द्रगढ़
9.	रोहतक	डा0 बाबू राम गुप्ता	श्री हृदय राम मलिक, रोहतक
			श्री आर पी गिरधर, झज्जर
			श्री सूरज लाल, वहादुरगढ़
10.	सिरसा	मिस कृष्णा चोपड़ा	श्री एन. आर मित्तल, सिरसा
			रिक्त डबवाली
11.	सोनीपत	श्री वी0 एस0 पासी	श्री जगवीर सिंह, सोनीपत
			श्री अमीर सिंह, गोहाना।

परिशिष्ट 'ग'

31-3-77 को श्रेणी–1 श्रौर श्रेणी–II के कुल पद–कालिजों श्रौर स्कूलों के अलग-अलग

क्रमांक	पद का नाम	वर्ग	कुल संख्या	संख्या	
				पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5	6
1.	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय	प्रथम	14	11	3
2.	प्रोफ़ैसर राजकीय महाविद्यालय	यथोपरि	9	2	1 (6 रिक्त)
3.	निदेशक, राज्य शिक्षा संस्थान	यथोपरि	1	1	—
4.	निदेशक, राज्य विज्ञान संस्थान	यथोपरि	1	1	—
5.	जिला शिक्षा अधिकारी	यथोपरि	11	8	3
6.	प्राचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	द्वितीय	77	55	22
7.	प्राचार्य जे बी॰ टी॰ स्कूल	यथोपरि	4	2	2
8.	वरिष्ठ विशेषज्ञ	यथोपरि	3	2	1
9.	विज्ञान परामर्शी	यथोपरि	1	1	—
10.	मूल्यांकन अधिकारी	यथोपरि	2	1	1
11.	परामर्शदाता:	यथोपरि	1	1	—
12.	मनोवैज्ञानिक/वरिष्ठ प्राध्यापक	यथोपरि	216	166	50
13.	उप मण्डल शिक्षा अधिकारी/उप जिला शिक्षा अधिकारी	यथोपरि	40	27	13
14.	तकनीकी प्राध्यापक	यथोपरि	7	7	—
15.	राज्य पुस्तकाध्यक्ष	यथोपरि	1	1	—

7544—D.P.I.—H.G.P., Chd.